"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016 — फाल्गुन 14, शक 1937

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शान्ति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2016

विनियम

क्रमांक -67/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा क्रमांक-65/छ.ग.रा.वि.नि.आ./ 2015 Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015 दिनांक 09-09-2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यह विनियम उपरोक्त अंग्रेजी विनियम का हिन्दी अनुवाद है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 सहपठित धारा 181(2) और धारा 32(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस हेतु आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015।

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :**

(i) ये विनियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015" कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम, अधिनियम की धारा-62 के अधीन टैरिफ एवं धारा 32(3) के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए शुल्क एवं प्रभारों के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 से वित्तीय वर्ष 2020-2021 तक की अवधि में लागू रहेंगे और आगे भी, तब तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि इन विनियमों को संशोधित अथवा नये विनियमों द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता ।

2. **विस्तार और क्षेत्र** :

2.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालन कर रहे निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे :-

क. राज्य पारेषण उपक्रम;

ख. ऐसे समस्त उत्पादन केन्द्र, जो राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्यक्ष अथवा राज्य के विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से, दीर्घावधिक अनुबंध के अधीन विद्युत की आपूर्ति करते हों; इनमें वे उत्पादन केन्द्र सम्मिलित नहीं होंगे, जो केन्द्रीय आयोग के क्षेत्राधीन हों और ऐसे नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत उत्पादन करने वाले केन्द्र भी सम्मिलित नहीं होंगे, जो राज्य में स्थित हों और जिनका टैरिफ, सुसंगत विनियमों और आदेशों के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता हो ।

ग. समस्त राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी;

घ. समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी, और

ड. राज्य भार प्रेषण केन्द्र;

2.2 ये विनियम एकल उत्पादन केन्द्रों, थोक उपभोक्ताओं और केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे ।

परन्तु ऐसे एकल उत्पादनकर्ता जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के उद्देश्य हेतु अथवा आयोग द्वारा समय-समय पर आदेशित किये जा सकने वाले किन्हीं अन्य उद्देश्यों हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग ऊर्जा मापन अथवा लेखांकन के लिए करते है, को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क और प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

2.3 इन विनियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यवाहियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 और उसमें हुए संशोधनों अथवा अधिनियमितियों से शासित होंगी ।

3. **परिभाषाएं** :

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आशयित न हो -

3.1 **"अधिनियम"** से अभिप्रेरित है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र.-36 सन् 2003) अथवा उसमें हुए कोई संशोधन अथवा उसका परवर्ती कोई अधिनियमन;

3.2 **"अतिरिक्त पूंजीकरण"** से अभिप्रेत है, परियोजना का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात्, विनियम 19 के प्रावधानों के अधीन आयोग द्वारा सावधानीपूर्ण जांच के उपरांत स्वीकृत किया गया कोई पूंजीगत व्यय या संभावित पूंजीगत व्यय;

3.3 **"सकल राजस्व आवश्यकता"** अथवा "ए. आर. आर." से अभिप्रेत है, ऐसी लागत, जो अनुज्ञप्त और/अथवा ऐसे विनियमित व्यवसाय से संबंधित हों तथा जो इन विनियमों के अनुसार अनुमत हों, और जिन्हें आयोग द्वारा अवधारित टैरिफऔर प्रभारों से वसूल किया जाये;

3.4 **"आवंटन मैट्रिक्स"**, इन विनियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट किए गए तत्वों से मिलकर बनेगी;

3.5 **"आवेदक"** से अभिप्रेत है, कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई उत्पादन कंपनी, जिसने इन विनियमों और अधिनियम के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन किया है अथवा सत्यांकन (टू अप) हेतु आवेदन किया है;

3.6 **"अंकेक्षक"** से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन कंपनी अथवा किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 224 अथवा धारा 233 बी अथवा धारा 619 के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त किया गया हो;

3.7 **"सहायक ऊर्जा खपत"** या "AUX" किसी उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, किसी अवधि में, उत्पादन केन्द्र के अंदर सहायक उपकरणों, जैसे संयंत्र के संचालन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण और यंत्र जिसमें उत्पादन केन्द्र का स्विच यार्ड भी सम्मिलित है, द्वारा की गई ऊर्जा की खपत और ट्रान्सफार्मर में ऊर्जा ह्रास की मात्रा, जिसे उस उत्पादन केन्द्र की सभी इकाइयों के उत्पादन टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा (विद्युत) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है;

परन्तु ऐसी सहायक ऊर्जा खपत में आवासीय कॉलोनी में और उत्पादन केन्द्र पर अन्य सुविधाओं हेतु की गयी ऊर्जा खपत और उत्पादन केन्द्र पर किये जा रहे विनिर्माण कार्यों पर की गयी ऊर्जा खपत सम्मिलित नहीं होगी ।

3.8 **"आधार वर्ष"** से अभिप्रेत है, नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती और इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त वित्तीय वर्ष अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2015-2016;

3.9 **"हितग्राही"**

(क) किसी **"उत्पादन केन्द्र"** के संबंध में अभिप्रेत है, वह व्यक्ति, जो ऐसे केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत को वार्षिक स्थिर प्रभारों और/अथवा विद्युत प्रभारों के भुगतान पर क्रय कर रहा है; और

(ख) **"पारेषण प्रणाली"** के संबंध में अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011 में यथापरिभाषित दीर्घावधिक और/अथवा मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक, और उसमें ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने राज्य पारेषण उपक्रम (एसटीयू)/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पारेषण सेवा अनुबंध किया है ।

3.10 **"पूंजीगत लागत"** से अभिप्रेत है, विनियम-18 में यथापरिभाषित पूंजीगत लागत;

3.11 **"पूंजी निवेश योजना"** इन विनियमों के विनियम-7 में विनिर्दिष्ट तत्वों से मिलकर बनेगी;

3.12 **"विधि में परिवर्तन"** से अभिप्रेत है, निम्नांकित में से किसी का भी घटित होना :

(i) ऐसा अधिनियमन, जिससे किसी विधि की प्रभावशीलता, अंगीकरण, घोषणा, संशोधन, रूपान्तरण अथवा निरसन कारित हो; या

(ii) किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारत सरकार का तंत्र जो ऐसी व्याख्या हेतु कानूनी रूप से अंतिम अधिकार प्राप्त हो, कानून के किसी व्याख्या में परिवर्तन करे ।

(iii) किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई राय, अनुमति या परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त अनुज्ञप्ति में परिवर्तन ।

3.13 **"आयोग"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा-82 की उपधारा (1) में संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

3.14 **"नियंत्रण अवधि"** से अभिप्रेत है, 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक आयोग द्वारा निर्धारित बहुवर्षीय अवधि;

3.15 **"विभेदन हेतु निर्दिष्ट दिनांक (कट ऑफ दिनांक)"** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के वर्ष के दो वर्ष उपरांत समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च, और जहां परियोजना को किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में संचालित हुआ घोषित किया गया है, वहां ऐसी विभेदन दिनांक वाणिज्यिक संचालन के वर्ष से तीन वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष की 31 मार्च होगी;

3.16 **''वाणिज्यिक संचालन की दिनांक'' या सी.ओ.डी.** से अभिप्रेत है –

3.16.1 तापीय उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई या ब्लॉक (समूह) के संबंध में, हितग्राहियों को सूचित करके उत्पादन इकाई के सफल परीक्षण संचालन के द्वारा अधिकतम निरंतर क्षमता या स्थापित क्षमता को प्रदर्शित कर उत्पादक द्वारा घोषित दिनांक को; 00.00 बजे से; जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता और समय–समय पर यथासंशोधित में अनुसूचित हो, का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाए, और समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र के संबंध में उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई ब्लॉक की संचालन दिनांक माना जाए।

3.16.2 किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की इकाई के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत उत्पादन कम्पनी द्वारा घोषित वह दिनांक जिसके 00:00 बजे से, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसरण में अनुसूचीकरण प्रक्रिया के अनुरूप पूर्णतः क्रियान्वयन हो जाता है, और समग्र रूप से उस उत्पादन केन्द्र के संबंध में, हितग्राहियों को विहित सूचना देने के उपरांत एक सफल परीक्षण संचालन के माध्यम से उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता के अनुसार बढ़त क्षमता को प्रदर्शित करने की घोषित दिनांक।

टीपः

1. ऐसे प्रकरण में जहॉ बांध या जलाशय सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र, जलाशय या तालाब के अपर्याप्त जल स्तर की वजह से प्रतिष्ठापित क्षमता से संगत बढ़त क्षमता प्रदिर्शित नहीं कर पाता है, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र की अंतिम इकाई के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक को समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र की वाणिज्यिक संचालन दिनांक समझा जायेगा, बशर्ते ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना, तब अनिवार्य होगा जब और जहॉ, ऐसे जलाशय या तालाब का जल–स्तर प्राप्त हो जाता है।

2. शुद्ध रूप से नदी प्रवाह वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में यदि ऐसी इकाई या ऐसा विद्युत उत्पादन केन्द्र वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत दुर्बल प्रवाह अवधि, जिस दौरान ऐसे प्रदर्शन हेतु जल पर्याप्त न हो, में घोषित किया जाता है तब ऐसे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई को स्थापित क्षमता के समतुल्य बढ़त क्षमता प्रदर्शित करना तब अनिवार्य होगा जब और जहां, पर्याप्त जलागम उपलब्ध हो जाये।

3.16.3 पारेषण प्रणाली के संबंध में राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित दिनांक को 00.00 बजे से, जब सफल चार्जिंग और परीक्षण संचालन के पश्चात् विद्युत पारेषण और प्रेषण सिरे से प्राप्ति सिरे तक संचार–सिंग्नल प्राप्त करने तथा विद्युत प्रवाह के लिए ऐसी प्रणाली, नियमित सेवा में आ जाती है;

परन्तु जहां ऐसी पारेषण लाईन अथवा उपकेन्द्र किसी विशिष्ट उत्पादन केन्द्र से ऊर्जा निकासी हेतु समर्पित है वहां उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणाली को यथा व्यवहार्य रूप से साथ–साथ प्रारम्भ करने का प्रयास करेंगे;

परन्तु, ऐसी दिनांक किसी कैलेन्डर माह की पहली तिथि होगी और इसकी उपलब्धता उसी दिनांक से गिनी जायेगी;

परन्तु, यह और भी कि ऐसे प्रकरण में जहॉ पारेषण प्रणाली के तत्व (ऐलीमेंट) नियमित सेवा के लिए तैयार हों, किन्तु वे ऐसे कारणों से सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ हों जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, इसके प्रदायकर्ताओं अथवा संविदाकर्ताओं की वजह से न हो, तो आयोग ऐसे तत्वों के नियमित सेवा में आने से पूर्व की दिनांक को वाणिज्यिक संचालन का दिनांक अनुमोदित कर सकेगा;

3.16.4 किसी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी तत्व के संबंध में वाणिज्यिक संचालन दिनांक से अभिप्रेत है, ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 00.00 बजे से घोषित दिनांक जिसको कोई संचार

प्रणाली अथवा उसका तत्व स्थल स्वीकृति जांच पूरा होने, जिसमें वाइस तथा डाटा का संबंधित नियत्रण केन्द्र को स्थानान्तरण संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा प्रमाणित सम्मिलित है, को सेवा में ले लिया जाए;

3.16.5 **"किसी वितरण प्रणाली के संबंध में"** वाणिज्यिक संचालन के दिनांक से अभिप्रेत है, विद्युत लाईनो या उपकेन्द्रो को उनके घोषित वोल्टेज स्तर तक आवेशित करने का दिनांक। उन मामलों में जहां लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) को आवेषण हेतु तैयार घोषित किया गया हो किन्तु अनुज्ञप्तिधारी ऐसे कारणों से, जो उस पर आरोपणीय न हो, आवेषण करने की स्थिति में न हो वहां ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र(द्रों) के संबंध में संचालन की दिनांक, ऐसी लाईन(नों)/उपकेन्द्र (द्रों.) को आवेषण योग्य घोषित किए जाने से 7 दिनों के पश्चात की दिनांक मानी जाएगी;

3.17 **"दिवस"** से अभिप्रेत है 00.00 बजे से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि;

3.18 **"वि–पूंजीकरण"** इन विनियमों के अन्तर्गत टैरिफ के उद्देश्य से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा यथा–अनुमत परिसम्पत्तियों के बहिष्करण/विलोपन की तुलना में परियोजना की सकल स्थायी परिसम्पत्तियों में कमी;

3.19 **"घोषित क्षमता"** अथवा **"डी.सी."** किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है जल तथा ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिन के किसी अवधि या सम्पूर्ण दिन के लिए उस उत्पादन केन्द्र द्वारा मेगावॉट में घोषित एक्स–बस विद्युत प्रदान करने की क्षमता, और जैसा कि सुसंगत विनियम में अग्रेत्तर रूप से अर्हित किया जाए;

3.20 **"वि–प्रवर्तन"** से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी किसी इकाई या संचार प्रणाली सहित पारेषण प्रणाली अथवा उसका कोई तत्व या भार प्रेषण केन्द्र के उपस्कर जिनमें संचार प्रणाली अथवा उसका कोई तत्व या वितरण प्रणाली अथवा उसका कोई तत्व सम्मिलित है, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सत्यापन के बाद, चाहे तो स्वतः अथवा परियोजना विकासकर्ता अथवा हितग्राहियों या दोनों की ओर से इस आशय का आवेदन किए जाने के पश्चात कि ऐसी परियोजना परिसम्पत्तियों के तकनीकी रूप से कालातित हो जाने के कारण गैर–निष्पादन अथवा अलाभकारी संचालन अथवा इन कारको के किसी संयोजन की वजह से संचालन संभव नहीं है, सेवा से हटाए जाना;

3.21 **"रूपांकन ऊर्जा (डिजाईन एनर्जी)"** जल विद्युत केन्द्र के प्रकरण में, से अभिप्रेत है, ऐसी ऊर्जा की मात्रा जो अवधारित वर्ष में, जल उत्पादन केन्द्र की 95 प्रतिशत उत्पादन क्षमता में से 90 प्रतिशत उत्पादन कर सकती है;

3.22 **"ई.आर.सी."** से अभिप्रेत है, टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व जिससे किसी अनुज्ञप्तिधारी को वसूल करने की अनुमति दी जाती है;

3.23 **"वर्तमान उत्पादन केन्द्र"** से अभिप्रेत है, 01.04.2016 से पहले की किसी दिनांक से वाणिज्यिक संचालन में घोषित कोई उत्पादन केन्द्र;

3.24 **"वर्तमान परियोजना"** से अभिप्रेत है, 01.04.2016 से पहले की किसी दिनांक से वाणिज्यिक संचालन में घोषित कोई परियोजना;

3.25 ''**शुल्क**'' से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्वयं की ओर से अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार किसी अन्य के खाते में संगृहीत एक बारगी अथवा वार्षिक निश्चित भुगतान;

3.26 ''**अप्रत्याशित घटना**'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसी घटना जो राज्यांतरिक उपयोगकर्ता के वश मे न हो, जिसका अनुमान ही न लगा सकते हो अथवा युक्तियुक्त सावधानी के उपरांत भी जिसका अनुमान न लगाया जा सके अथवा जिसका बचाव न किया जा सके और जो दोनो अभिकरणों के निष्पादन को सारभूत ढंग से प्रभावित करते हो जैसे, किन्तु वे निम्नांकित तक सीमित नहीं है–

(i) ईश्वरीय कृत्य, प्राकृतिक घटना जिसमें सम्मिलित है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प और महामारियां;

(ii) किसी शासन, चाहे घरेलू या विदेशी के कृत्य, जिसमें सम्मिलित है किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं, जैसे घोषित या अघोषित युद्ध, विद्रोह, निर्वासन, निषेध;

(iii) दंगे अथवा सिविल नाफरमानी;

(iv) ग्रिड की विफलता जिसके लिए अभिकरणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता;

3.27 ''**सकल कैलोरिफिक मूल्य'' या ''जी.सी.बी**.'' ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में इससे अभिप्रेत है, एक किलोग्राम के ठोस ईंधन अथवा यथास्थिति एक लीटर द्रव ईंधन अथवा एक मानक घनमीटर गैसीय ईंधन की संपूर्ण ज्वलंनशीलता द्वारा उत्पादित उष्मा जो किलो कैलोरी में व्यक्त की जाती है;

3.28 ''**केन्द्र की सकल उष्मा दर या जी.एच.आर**'' से अभिप्रेत है, किसी तापीय विद्युत उत्पादन केन्द्र के जनरेटर टर्मिनल पर एक किलोवॉट घण्टे (KWH) विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने हेतु, किलो कैलोरी में व्यक्त आवश्यक तापीय ऊर्जा;

3.29 ''**अनिश्चित पावर**'' से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र के किसी एक इकाई अथवा उत्पादन केन्द्र के ब्लॉक द्वारा अपने वाणिज्यिक संचालन के पूर्व ग्रिड में डाली गई विद्युत;

3.30 ''**स्थापित क्षमता अथवा आई.सी.**'' से अभिप्रेत है, उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों की नाम पट्टिका पर दर्शित क्षमताओं का योग अथवा उत्पादन केन्द्र की क्षमता (उत्पादन टर्मिनल पर प्रदर्शित), जैसी कि आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जाये;

3.31 ''**राज्यांतरिक क्रेता**'' से अभिप्रेत है, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी अथवा थोक उपभोक्ता अथवा केप्टिव उपयोगकर्ता जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली जिसमें ऐसी प्रणाली सम्मिलित है जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली के सांयुज्य से उपयोग में ली जाती है और जिसका अनुसूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होता है का उपयोग करते हुए, मुक्त उपयोग के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहा है;

3.32 ''**राज्यांतरिक एकक**'' से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति जिनके लिए अनुसूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य स्तर पर किया जाता है;

3.33 ''**राज्यांतरिक बाजार संचालन प्रकार्य**'' मे सम्मिलित है– अनुसूचीकरण, प्रेषण, मापन, डाटा संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन और स्थिरीकरण, पारेषण हानि की संगणना और प्रभाजन, पूल खाते

और कंजेशन प्रभार खाते का संचालन, अनुशंगिक सेवाएं प्रदान करना, सूचना प्रसार और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम अथवा आयोग के विनियमों और आदेशों द्वारा सौंपे गए हों;

3.34 **"राज्यांतरिक विक्रेता"** से अभिप्रेत है, कोई उत्पादन संयंत्र जिसमें कोई केप्टिव उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत व्यापारी, राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली और/अथवा वितरण प्रणाली जिसमें ऐसी प्रणाली सम्मिलित है जो राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली के सांयुज्य से उपयोग में ली जाती है और जिसका अनुसूचीकरण, मापन और ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से होता है, का उपयोग करते हुए, मुक्त उपयोग के माध्यम से विद्युत प्रदाय कर रहा है;

3.35 **"राज्यांतरिक उपयोगकर्ता"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युत संयंत्र 33 के.व्ही. या अधिक के वोल्टेज स्तर पर एक उत्पादन कंपनी के रूप में राज्य ग्रिड से संबद्ध है और जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (सी.टी.यू और एस.टी.यू. को छोड़कर) अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा केप्टिव उपयोगकर्ता सहित थोक उपभोक्ता;

3.36 **"दीर्घ अवधि"** से अभिप्रेत है, 12 वर्ष अथवा अधिक की अवधि;

3.37 **"अधिकतम सतत रेटिंग अथवा एम.सी.आर"** ताप विद्युत केन्द्र की इकाई के संबंध में अभिप्रेत है, **"अधिकतम् लगातार रीडिंग"** या एम.सी.आर. से अभिप्रेत है, जनरेटर सिरों पर जल अथवा वाष्प की प्रविश्टि से (यदि प्रयोज्य हो) वह अधिकतम् लगातार उत्पादन, जो मानकीकृत मापदण्डों एवं 50 हर्ट ग्रिड आवृत्ति पर शोधित और विनिर्दिष्ट स्थानीय स्थिति पर उत्पादक द्वारा प्रत्याभूत हो;

3.38 **"मध्यम अवधि"** से अभिप्रेत है, 1 वर्ष से अधिक किन्तु 7 वर्ष तक की अवधि;

3.39 **"नवीन उत्पादन केन्द्र"** से अभिप्रेत है, ऐसा केन्द्र जिसने वाणिज्यिक संचालन की दिनांक 01.04.2016 को प्राप्त कर ली है अथवा उसके द्वारा ऐसी वाणिज्यिक संचालन की दिनांक इस तिथि के बाद प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है;

3.40 **"मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक"** किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, तापीय उत्पादन केन्द्र हेतु विनियम 39 तथा जलीय उत्पादन केन्द्र हेतु विनियम 40 में यथा विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक;

3.41 **"संचालन और संधारण व्यय या (ओ.& एम. व्यय)"** से अभिप्रेत है, परियोजना, अथवा उसके किसी भाग के संचालन और संधारण पर होने वाला व्यय और उसमें सम्मलित है श्रम शक्ति, सुधारों, अतिरिक्त वस्तुओं (स्पेयर), उपभोग्य, बीमा और ओवरहेड पर किये जाने वाला व्यय;

3.42 **"मूल परियोजना लागत"** से अभिप्रेत है, उत्पादन कंपनी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा परियोजना के मूल स्वरूप के अंतर्गत आयोग द्वारा यथा–अनुमत, कटऑफ दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय;

3.43 **"संयंत्र उपलब्धता कारक"** किसी उत्पादन केन्द्र के संबंध में किसी अवधि के लिए अभिप्रेत है, प्रतिदिन घोषित क्षमताओं के उस अवधि विशेष के सभी दिनों का औसत, जो उस उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया हो, जिससे मानकीकृत सहायक विद्युत उपभोग घटा दिया जाये;

3.44 **"संयंत्र भार कारक (पी.एल.एफ.)"** के तापीय उत्पादन केन्द्र अथवा किसी इकाई हेतु किसी दी गई अवधि में अभिप्रेत है, उस अवधि के दौरान अधिसूचित उत्पादन के संगत कुल भेजी गई ऊर्जा जिसे उस अवधि के लिए स्थापित क्षमता के भेजे गए ऊर्जा प्रतिशत में अभिव्यक्त किया गया है और जिसे निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा:—

$$PLF = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SGi / \{N \times IC \times (100 - AUXn)\}\%$$

जहां

IC	=	उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता या मेगावाट में यूनिट,
SGI	=	अवधि के (i) वे कालखण्ड के लिए मेगावाट में अधिसूचित उत्पादन,
N	=	उस अविध के दौरान कालखण्डों की संख्या और
AUXN	=	सकल ऊर्जा उत्पादन के रूप में मानदण्डीय सहायक ऊर्जा की खपत

3.45 **"परियोजना"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति कोई उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली, और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, इसमें सम्मलित है उत्पादन सुविधाओं के समस्त घटक, जैसे बांध, जलागम, संचालन प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और योजना की उत्पादन ईकाईयां, जो विद्युत उत्पादन हेतु प्रर्युक्त की गई हों;

3.46 **"पम्पकृत भण्डारण वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्र"** से अभिप्रेत है, ऐसा जलीय केन्द्र जो निम्नतर एलीवेशन वाले जल संग्रह से उच्चतर एलीवेशन वाले जल संग्रह को पम्प करके जल ऊर्जा के रूप में संगृहीत ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करता है;

3.47 **"रेटेड वोल्टेज"** से अभिप्रेत है, उत्पादनकर्ता का वह रूपांकित वोल्टेज, जिस पर पारेषण प्रणाली संचालित करने हेतु रूपांकित की गई है और उसमें ऐसा निम्नतर वोल्टेज सम्मिलित है, जिस पर कोई पारेषण लाईन चार्ज की जाती है अथवा हितग्राही के परामर्श से कुछ समय के लिए चार्ज की जाती है;

3.48 **"विनियमित व्यापार"** से अभिप्रेत है, ऐसे कृत्य और क्रियाकलाप जो आयोग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या अधिनियम के अधीन किसी मान लिए गए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा और अधिनियम के प्रावधानों एवं आयोग द्वारा अधिसूचित, विनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी उत्पादन कम्पनी द्वारा किए जाना अपेक्षित हों;

3.49 **"फुटकर आपूर्ति का व्यापार"** से अभिप्रेत है, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने प्रदाय क्षेत्र के भीतर, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय का व्यापार;

3.50 **"फुटकर आपूर्ति टैरिफ"** से अभिप्रेत है, वह दर जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर प्रभारित की जाती है और जिसमें व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति की सेवाओं के लिए प्रभार भी सम्मिलित है;

3.51 **"रन ऑफ रिवर विद्युत केन्द्र"** से अभिप्रेत है, ऐसा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसमें अप स्ट्रीम पोण्डेज (प्रवाहोपरि जलाशय) नहीं हो;

3.52 **''पोण्डेज सहित रन ऑफ रिवर विद्युत उत्पादन केन्द्र''** से अभिप्रेत है, विद्युत की मांग के दैनंदिन उतार–चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त पोण्डेज (जल संग्रह) वाला जल विद्युत उत्पादन केन्द्र;

3.53 **''अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन दिनांक'' अथवा ''एस.सी.ओ.डी.''** से अभिप्रेत है, वह दिनांक (दिनांके) जिसको कोई उत्पादन केन्द्र या उत्पादन इकाई या उसका कोई ब्लाक या पारेषण प्रणाली या निवेश अनुमोदन या यथा स्थिति विद्युत क्रय अनुबंध में या पारेषण सेवा अनुबंध में यथा–सहमत में अंकित उसका कोई तत्व, जो भी पहले हो, वाणिज्यिक संचालन में आता है;

3.54 **''अनुसूचित ऊर्जा''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा एक दिवस की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्रिड में डाली जाने वाली अधिसूचित ऊर्जा की मात्रा;

3.55 **''अधिसूचित उत्पादन'' अथवा ''एस.जी.''** से अभिप्रेत है, किसी समय अथवा किसी अवधि विशेष या समयखण्ड में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई मेगावाट अथवा MWh एक्सबस में व्यक्त उत्पादन की अनुसूची;

3.56 **''स्कीम''** से अभिप्रेत है, वे सुविधाएं और उनसे सहबद्ध उपकरण जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र पर स्थापित है और जिनमें निम्नांकित सम्मिलित है, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं है :–

(क) कम्प्यूटर प्रणालियां, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,

(ख) सहायक विद्युत प्रदाय प्रणाली जो अबाधित विद्युत प्रदाय, डीजल जनरेटिंग सेट और डी.सी. विद्युत प्रणाली से मिलकर बनती है,

(ग) सामान्य टेलीफोन, फैक्स और अन्य ऑफलाईन संचार प्रणाली,

(घ) अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, जैसे वातानुकूलन, अग्निशमन और भवनों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण;

(ड.) बेहतर प्रणाली संचालन के लिए कोई नवाचारी स्कीमें, शोध और विकास परियोजनाएं तथा पायलेट परियोजनाएं, जैसे सिन्क्रो फेजर्स, प्रणाली सुरक्षा स्कीम,

(च) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए बैकअप नियंत्रण केन्द्र,

(ज) निगरानी कैमरा प्रणाली, और

(झ) सायबर सुरक्षा प्रणाली

3.57 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार''** से अभिप्रेत है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संग्रहनीय आवर्ती और मासिक भुगतान;

3.58 **''आरंभ दिनांक'' अथवा ''शून्य दिनांक''** से अभिप्रेत है, निवेश स्वीकृति में उल्लिखित परियोजना लागू करने के लिए प्रारंभ की दिनांक और जहां कोई ऐसी दिनांक उल्लिखित न हो वहां निवेश अनुमोदन की दिनांक को प्रारंभ दिनांक अथवा शून्य दिनांक माना जायेगा;

3.59 **''राज्य भार प्रेषण केन्द्र'' अथवा ''एस.एल.डी.सी.''** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र;

3.60 **''राज्य पूल खाता''** से अभिप्रेत है, व्यपवर्तन तथा या रिएक्टिव ऊर्जा विनिमयो (रिएक्टिव ऊर्जा खाता) या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय समय पर विनियमों और आयोग के निर्देशों के अनुसार संचालित किए जा सकने वाले कोई अन्य खातो से संबंधित भुगतान हेतु राज्य खाते;

3.61 **"राज्य प्रणाली संचालन प्रकार्य"** में सम्मिलित है ग्रिड संचालनों की निगरानी राज्यांतरिक पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, ग्रिड नियंत्रण और प्रेषण के लिए समसामयिक (रियल टाईम) संचालन, ग्रिड व्यवहारों के बाद प्रणाली को फिर से सुचारू बनाना, प्रणाली संचालन से संबंधित डाटा उपलब्ध कराना, कंजेशन प्रबंधन, ब्लैक स्टार्ट समन्वय और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अधिनियम और/अथवा आयोग के विनियमों और/अथवा आदेशों द्वारा सौंपे जाए;

3.62 **"भण्डारण वाले विद्युत केन्द्र"** से अभिप्रेत है, वृहद जल भण्डारण क्षमता सहित जल विद्युत उत्पादन केन्द्र जो मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन में फेरबदल करने में सक्षम हो;

3.63 **"पारेषण सेवा अनुबंध"** से अभिप्रेत है, वह करार, संविदा, समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग), या कोई ऐसा दस्तावेज जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/ राज्य पारेषण उपक्रम और पारेषण प्रणाली के संचालन चरण हेतु हितग्राही के मध्य निष्पादित किया गया हो;

3.64 **"पारेषण तंत्र"** से अभिप्रेत है, संबंधित उपकेन्द्रों सहित या रहित पारेषण लाईन अथवा लाईनों का समूह और उसमें ऐसे संबद्ध यंत्र सम्मिलित है, जिनका विद्युत पारेषण के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो;

3.65 **"पूर्व परीक्षण" अथवा "परीक्षण संचालन"** किसी उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली अथवा इनके किसी तत्व के संबंध में केन्द्रीय आयोग के विनियमों और इसके संशोधनों/इनकी अधिनियमितियों मे विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगे;

3.66 **"इकाई"** ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, स्टीम जनरेटर, टरबाईन जनरेटर और सहायक उपस्कर तथा किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के संबंध में अभिप्रेत है, टरबाईन जनरेटर और उसके सहायक उपस्कर;

3.67 **"उपयोगी जीवन काल"** किसी उत्पादन केन्द्र की इकाई, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के संबंध में सीओडी के पश्चात की निम्नानुसार अवधि –

(क)	कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	25 वर्ष
(ख)	ए सी और डी सी उप केन्द्र	25 वर्ष
(ग)	जल विद्युत उत्पादन केन्द्र	35 वर्ष
(घ)	पारेषण और वितरण लाईनें	35 वर्ष

3.68 **"व्हीलिंग"** से अभिप्रेत है, ऐसा संचालन जहां यथास्थिति किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और संबद्ध सुविधाएं, अधिनियम की धारा 62 के अधीन निर्धारित किए जाने वाले प्रभारों के भुगतान का विद्युत के संवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली जाती है;

3.69 **"व्हीलिंग व्यापार"** से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के संवहन हेतु वितरण तंत्र के संचालन और संधारण का व्यापार;

3.70 **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष ,

"चालू वर्ष " से अभिप्रेत है, वह वर्ष जिसके दौरान वार्षिक लेखों का विवरण या टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है,

"**आगामी वर्ष** " से अभिप्रेत है, चालू वर्ष के तुरन्त पश्चात् आने वाला वर्ष; और

"**पूर्व वर्ष** " से अभिप्रेत है, वह वर्ष जो चालू वर्ष के ठीक पहले रहा हो ।
इन विनियमों में प्रयुक्त और यहां अपरिभाषित रहें, तथापि अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम और अन्य आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में दिया गया है, परन्तु जहां किसी शब्द या वाक्यांश का उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संदर्भ में किया गया हो, वहां उस विशिष्ट संदर्भ में प्रयोज्य अर्थ अभिभावी होगा और ऊपर दी गई जेनरिक (मूल) परिभाषा प्रयोज्य न हो सकेगी ।

अध्याय–2
सामान्य सिद्धान्त

4 बहुवर्षीय टैरिफ की रूपरेखा:

4.1 आयोग, इन विनियमों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनियम की धारा–61, और 62 में राज्य के उत्पादन केन्द्रो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी / राज्य पारेषण उपक्रम, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ के निर्धारण और अधिनियम की धारा–32 (3) में राज्य भार वितरण केन्द्र, के लिए शुल्क और प्रभारों का निर्धारण करने में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के सिद्धांतो से मार्गदर्शित होता है;

परन्तु यह कि आयोग या तो स्वतः आधार पर अथवा किसी उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे प्रस्तुत आवेदन पर वैसी अवधि के लिए जैसी कि ऐसी छूट प्रदान करने के आदेश में निहित हो, बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अधीन टैरिफ के निर्धारण में छूट दे सकेगा और ऐसे प्रकरण में टैरिफ का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निर्धारण की शर्तें और दशाएं) विनियम, 2006 और उसमें हुए संशोधनों के अनुरूप किया जाएगा।

4.2 ऐसी बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वितरण व्हीलिंग व्यापार और फुटकर प्रदाय व्यापार हेतु टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व और सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होगी :–

(क) नियंत्रण अवधि के प्रारंभ से पूर्व नियंत्रण अवधि से अन्यून किसी अवधि के लिए पूंजीगत निवेश योजना का अनुमोदन;

(ख) वास्तविकीकरण (ट्रूइंग अप) की प्रणाली;

(ग) नियंत्रण से परे मदों के संबंध में निकासी (Pass Through) की प्रणाली;

(घ) नियंत्रण योग्य विषयों के संबंध में लाभों और हानियों को साझा करने की प्रणाली;

(ङ) नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ का निर्धारण।

4.3 मध्यावधि समीक्षा :

जहां किसी उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ और प्रभारों से अनुमानित राजस्व और सकल राजस्व आवश्यकता बहुवर्षीय टैरिफ रूपरेखा के अंतर्गत आती है, वहां यथास्थिति, ऐसे उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपकम / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियम के अनुसरण में नियंत्रण अवधि के दौरान मध्यावधि समीक्षा के अंतर्गत आएंगे।

4.3.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम–5 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपकम / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति आयोग को ऐसे प्ररूप में जानकारी प्रस्तुत करेंगे जैसी आयोग द्वारा विहित की जाए और साथ में लेंखाकन विवरण लेखा पुस्तिका के सारांश और ऐसे अन्य विवरण देंगे जिनकी आयोग को अनुमोदित सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ तथा प्रभारों से अनुमानित राजस्व के पूर्वानुमान को देखते हुए किन्हीं परिवर्तनों और उसकी सीमा का मूल्यांकन करने के लिए वांछित हो;

4.3.2 मध्यावधि समीक्षा का क्षेत्र, उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वास्तविक निष्पादन की तुलना, टैरिफ और प्रभारों से उनकी अनुमानित राजस्व और सकल राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान से करना रहेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) आवेदक के पिछले दो वित्तीय वर्षो के वास्तविक निष्पादन से, ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना करनाः और

(ख) मध्यावधि समीक्षा के समय, यदि कोई हो तो आधिक्य/घाटे की राशि की रखरखाव लागत।

4.3.3 विनियम–11 के अधीन उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु आयोग द्वारा निर्धारित दक्षता मानदण्डों के लिए आयोग मध्यावधि समीक्षा के एक भाग के रूप में आवेदक के निष्पादन की उसके लिए अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना एक विस्तृत समीक्षा करेगा;

4.3.4 आयोग द्वारा वास्तविक पूंजीगत व्यय की तुलना में नियंत्रण अवधि के प्रथम दो वित्तीय वर्षो हेतु अनुमोदित लक्ष्यों और नियंत्रण अवधि की शेष अवधि के लिए प्रक्षेपों (प्रोजेक्शन) का विस्तृत विश्लेषण कराएगा;

4.3.5 उपर्युक्त विनियम 4.3.3 के अन्तर्गत समीक्षा पूरी हो जाने के बाद आयोग, निम्नलिखित विनियम–11 में विनिर्दिष्ट परिवर्तनीयों के लिए उन कारको जो आवेदक के नियंत्रण में थे (नियंत्रणीय कारक) या जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे (अनियंत्रणीय कारक) हेतु निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनो या संभावित परिवर्तनो को चिन्हित करेगा;

4.3.6 परन्तु निम्नलिखित विनियम–11 में विनिर्दिष्ट परिवर्तनियों को छोड़कर निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनों या संभावित परिवर्तनो की समीक्षा नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें पूर्णतः नियंत्रणीय कारको के रूप में चिन्हित किया जाएगा;

4.3.7 तथापि परन्तु जहां आवेदक या अन्य हितबद्ध या प्रभावित पक्ष यह विश्वास करता है कि नीचे विनियम–11 में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये किसी परिवर्तनीय में अनियंत्रणीय कारकों की वजह से किसी वित्तीय वर्ष के निष्पादन में कोई तात्विक परिवर्तन या संभावित परिवर्तन है तो ऐसा आवेदक या हितबद्ध या प्रभावित पक्ष आयोग को ऐसे परिवर्तनीय का समावेश करने के लिए आवेदन दे सकेगा जो ऐसे वित्तीय वर्ष हेतु उपर्युक्त विनियम 4.3.3 के अंतर्गत समीक्षा में आयोग के विवेकाधीन होगा।

5. बहुवर्षीय टैरिफ के अनुरूप प्रस्तुतिकरणः

5.1 बहुवर्षीय टैरिफ के अंतर्गत उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुति (फाइलिंग) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयावधि में किया जाएगा और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट वार्षिक राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु सिद्धांतों के अनुसरण में, वैसे प्रारूप में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

5.2 उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम और राज्य भार प्रेषण केन्द्र/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियम 5.8 (क) (i) के अनुसरण में बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन 30 नवंबर 2015 तक दाखिल

किये जायेंगे। परवर्ती वर्ष (Ensuing Year) के लिए विनियम 5.8(ख)(i) के अनुसरण में वार्षिक याचिका चालू वर्ष की 30 नवंबर तक दाखिल की जायेगी।

5.3 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ का आवेदन विनियम 5.8 (क) (ii) के अनुसार 30 नवम्बर, 2015 तक दाखिल किया जाएगा। परवर्ती वर्ष के लिए वार्षिक याचिका, विनियम 5.8 (ख) (ii) के अनुसार चालू वर्ष के 30 नवम्बर तक दाखिल की जाएगी।

5.4 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी जो 1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2021 की नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ संरचना के अंतर्गत आते है वे मध्यावधि समीक्षा के लिए अपना आवेदन आयोग को 30 जून 2018 तक देंगे। मध्यावधि समीक्षा संपन्न करने के लिए आयोग स्वतः भी कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

5.5 आवेदक द्वारा आयोग के पूर्व आदेशों में जारी किए गए निर्देशों के पालन के संबंध में एक विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा।

5.6 किसी आवेदक द्वारा समस्त प्रस्तुति (फाईलिंग) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004, इसके संशोधनों सहित प्रावधानों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप भी होंगे। बहुवर्षीय टैरिफ का प्रस्तुति ऐसे स्वरूप और ऐसी पद्धति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

5.7 टैरिफ के निर्धारण अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को जारी रखने हेतु, प्रत्येक आवेदन के साथ तत्समय प्रचलित, समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क और प्रभार) विनियम में वर्णित शुल्क लगाया जाएगा। आयोग आवेदन पर स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा और आवेदक ऐसे स्पष्टीकरण एवं अतिरिक्त जानकारी को, आयोग द्वारा दी गई तिथि के भीतर उपलब्ध कराएगा।

5.8 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुति निम्नानुसार होगी :-

(क) बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में निम्नांकित सम्मिलित होंगे :-

(i) उत्पादन, पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के लिए -

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविकीकरण; (true-up)
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए टैरिफ और शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन;

(ii) वितरण, व्हीलिंग और फुटकर आपूर्ति व्यापार के लिए -

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वास्तविकीकरण;
2. सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय सकल राजस्व आवश्यकता;
3. वर्तमान शुल्कों और प्रभारों से राजस्व और नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु संभावित राजस्व रिक्तता (प्रोजेक्टेड रेवेन्यू गेप);
4. नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु फुटकर टैरिफ प्रस्ताव का आवेदन।

(ख) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के पश्चात् और उससे आगे वार्षिक याचिका में निम्नांकित सम्मिलित किए जाएंगे :–

(i) राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविकीकरण याचिका के साथ–साथ लघु अवधि मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं के लिए पारेषण प्रभारों के निर्धारण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वास्तविकीकरण याचिका के साथ–साथ वर्ष वार पूंजीगत व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे जिसमें, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय वित्तीय स्रोत, संचालन और संधारण व्यय आदि सम्मिलित किए जाएंगे। आयोग द्वारा परिपक्व जांच के उपरांत किसी वर्ष के दौरान वसूले गए शुल्कों और प्रभारों का वास्तविकीकरण किया जाएगा और अगले वर्ष हेतु शुल्कों और प्रभारों के निर्धारण पर विचार किया जाएगा।

जहां वास्तविकीकरण के उपरांत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वसूले गये शुल्क और प्रभारों में आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन अनुमोदित राशि से यथास्थिति, आधिक्य/कमी पायी जाती है वहां उसे अगले वर्ष के लिए शुल्क और प्रभारों को निर्धारित करते समय अथवा आयोग द्वारा यथानिर्णीत ढंग से समायोजित कर दिया जाएगा।

(ii) वितरण व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए –

1. पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) हेतु वास्तविकीकरण;
2. आगामी वर्ष के लिए पुनरीक्षित विद्युत क्रय की मात्रा/लागत (यदि कोई हो) विवरण सहित;
3. वर्तमान टैरिफ और प्रभारों से राजस्व और आगामी वर्ष के लिए संभावित राजस्व;
4. आगामी वर्ष हेतु राजस्व आवश्यकता के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन, खुदरा शुल्क प्रस्ताव सहित।

(ग) उत्पादन कंपनी अपनी सभी प्रस्तुतियां उत्पादन केन्द्रवार करेंगी, सिवाय ऐसे वर्षों के वास्तविकीकरण हेतु जिसके लिए टैरिफ आदेश में ही कंपनी हेतु एक भाग औसत उत्पादन टैरिफ दिया गया है।

(घ) किसी अवधि के लिए वास्तविकीकरण उस विनियम के प्रावधानों से शासित होगा जिसके अधीन उस वर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया था।

(ङ) आयोग आवेदक की पूर्व वर्षों के लिए प्रस्तुत वास्तविकीकरण याचिका पर भी विचार करेगा, जहां ऐसा वास्तविकीकरण प्राविधिक लेखों के आधार पर किया गया है।

5.9 कोई उत्पादन कंपनी यथास्थिति समग्र रूप से किसी उत्पादन केन्द्र, या उसकी किसी इकाई अथवा प्रक्रम की संभाव्य वाणिज्यिक संचालन दिनांक से अग्रिम रूप में प्राविधिक टैरिफ निर्धारण हेतु, याचिका लगाने की दिनांक तक या याचिका लगाने की दिनांक से पूर्व हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा विविध रूप से अंकेक्षित और प्रमाणीकृत हो के आधार पर याचिका लगा सकेगी और ऐसा प्राविधिक टैरिफ यथास्थिति, ऐसे उत्पादन केन्द्र या प्रक्रम या इकाई के वाणिज्यिक संचालन दिनांक से प्रभारित किया जाएगा।

5.10 कोई उत्पादन कंपनी इन विनियमों के अनुसरण में उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन के दिनांक तक, वैधानिक अंकेक्षको द्वारा वार्षिक अंकेक्षित लेखों के आधार पर विहित रूप से प्रमाणित वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर अंतिम टैरिफ के निर्धारण हेतु कोई नवीन याचिका प्रस्तुत कर सकेगी।

5.11 प्राविधिक टैरिफ और आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम टैरिफ और जो उत्पादन कंपनी के पेटे ना हो में अंतर को आगामी वर्ष के लिए अंतिम टैरिफ निर्धारण के समय आयोग द्वारा यथा निर्देशित, समायोजित किया जा सकेगा।

6. **याचिका का निराकरणः**

6.1 आयोग, आवेदकों द्वारा बहुवर्षीय शुल्क की प्रस्तुतियों पर इन विनियमों और समय– समय पर यथासंशोधित कार्य संचालन विनियम, 2009 के अनुरूप कार्यवाही करेगा।

6.2 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किये गये टैरिफ आवेदन की प्रतिलिपियां आयोग के कार्यालय में और आवेदक के ऐसे कार्यालय में, जैसा कि आयोग निर्देशित करे, विक्रय हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दस्तावेज आवेदको की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किए जा सकने वाले प्ररूप में रखे जाएंगे, ताकि वे सभी भागीदारों की सुगम पहुंच में रहे।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क और प्रभारों हेतु किए गए आवेदन के प्रकरण में, याचिकाकर्ता याचिका के पंजीयन से एक सप्ताह के भीतर याचिका की प्रतिलिपि राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रत्येक राज्यांतरिक एकक पर तामील कराई जाएगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा याचिका के पंजीकरण के एक सप्ताह के भीतर अपनी वेबसाईट पर सम्पूर्ण याचिका अपलोड की जाएगी और आयोग द्वारा उसका निराकरण होने तक वेबसाईट पर बनाए रखा जाएगा।

परन्तु याचिका के पंजीयन से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह सूचित करेगा कि क्या राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि सेवाएं प्राप्त करने वाले प्रत्येक राज्यांतरिक एकक पर तामील करा दी गई है और क्या ऐसी याचिका अपनी वेबसाईट पर, उस वेबसाईट--पते सहित जहां पर उसे लोड किया गया है, अपलोड कर दी गयी है।

6.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित ए.आर.आर. और ई.आर.सी., विद्यमान एवं प्रस्तावित टैरिफ के आधार पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जावेगी और प्रस्तावों पर निर्णय देने के पहले आयोग ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सुन सकेगा।

6.4 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण और वितरण आवेदक, आयोग द्वारा प्रकाशन के लिए अनुमोदित रूप में प्रस्तावों का सार, आवेदन की प्रमुख ऐसी विशेषताओं सहित जो विभिन्न उपभोक्ताओं के हित में हों (पर प्रकाश डालते हुए) न्यूनतम 3 ऐसे समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में तथा आवेदक के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। भागीदारों से लिखित सुझाव/आपत्तियां प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 21 दिवसों का समय प्रदान किया जाएगा।

याचिका के पंजीयन उपरांत 7 दिवस के भीतर, राज्य भार प्रेषण केन्द्र आयोग के निर्देशों पर, ऐसी याचिका की सूचना का प्रकाशन न्यूनतम 2 दैनिक समाचार पत्रों, जिनमें 1 अंग्रेजी भाषा और 1 हिन्दी भाषा का होगा, जिनका वितरण उन स्थानों पर होता हो जहां राज्यांतरिक एकक स्थित हैं, आयोग द्वारा अनुमोदित प्ररूपों में किया जाएगा।

6.5 आवेदक द्वारा अनुमोदित शुल्कों सहित, आदेश का सारांश न्यूनतम 3 दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से 2 हिन्दी और 1 अंग्रेजी का हो, जिनका राज्य में तथा आपूर्ति के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, प्रकाशित करेगा। ऐसा शुल्क उसी दिनांक से प्रभावशील होगा, जैसा आयोग द्वारा सुसंगत टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

6.6 आयोग आदेश करने के 7 दिवस के भीतर उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सम्यक राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित उत्पादक कंपनी/ अनुज्ञप्तिधारी/हितग्राहियों को प्रेषित करेगा।

7. **पूंजी निवेश योजना –**

7.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अनुमोदन के लिए 31 अक्टूबर, 2015 तक एक पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे। ऐसी पूंजी निवेश योजना में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु विवरण सहित सम्पूर्ण नियंत्रण अवधि को समाविष्ट किया जाएगा।

7.2 पूँजी निवेश की योजना, नवीन उत्पादन परियोजनाओं या पारेषण/वितरण स्कीमों (लाइनों उपकेन्द्रो, बे(bay) आदि के लिए) या प्रणाली संचालन की अतिरिक्त क्षमता बनाने/जीवनावधि पूर्ण हो जाने पर मौजूदा क्षमताओं का पुनर्नवीनीकरण अथवा वृद्धि, अथवा विधि में परिवर्तन के कारण कार्य की आवश्यकता होने, या मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्य निष्पादन में देरी होने या सक्षमता सुधार या ऐसा कार्य जो प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक हो, के बारे में हो सकेगी।

(क) पूंजी निवेश योजना में, वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को नियंत्रण अवधि में विस्तारित करते हुए, और नवीन परियोजनाओं (औचित्य सहित) जो नियंत्रण अवधि में प्रारंभ होगी, किन्तु इस दौरान अथवा नियंत्रण अवधि से आगे पूर्ण होगी, पृथकतः दर्शाए जाएंगे। पूंजी निवेश योजना में स्कीम का विवरण, कार्य का क्षेत्राधिकार, पूंजीकरण अनुसूची, पूंजी संरचना और लागत लाभ विश्लेषण (जहां प्रयोज्य हो) का समावेश किया जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्तः

(i) उत्पादन कम्पनी नवीन परियोजनाओं के संबंध में विद्युत विक्रय अनुबंध प्रस्तुत करेगी। जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की स्कीमों तथा सक्षमता वृद्धि के आशय से बनाई गई स्कीमों में, लागत लाभ विश्लेषण और संभावित निष्पादन लक्ष्यों को सम्मिलित करना आवश्यक होगा;

(ii) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत निष्क्रमण योजना और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्यगत भार पूर्वानुमान के संदर्भ में प्रणाली के सुदृढ़ीकरण योजना को प्रस्तुत किया जाएगा;

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्तृत विक्रय/मांग संबंधी पूर्वानुमान, भार पूर्वानुमान, विद्युत अधिप्राप्ति योजना (प्रोक्योरमेण्ट), प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रस्तावित उपाय, मीटरिंग योजना, उपभोक्ता सेवाओं और क्षति कम करने संबंधी योजना प्रस्तुत की जाएंगी।

7.3 आयोग द्वारा पूंजी निवेश योजना की समीक्षा की जाएगी और सम्यक् जांच एवं समस्त भागीदारों को अपने दृष्टिकोण/सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद तथा प्रस्तावित योजना पर सुनवाई करने एवं प्राप्त आपत्तियों/सुझावों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त जानकारी पर विचार करने के उपरांत उसे अनुमोदित किया जाएगा ।

7.4 टैरिफ आदेश जारी करने से पूर्व आयोग, पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन करेगा और टैरिफ आदेश में इस प्रकार के अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के प्रभाव को विचार में लेगा ।

7.5 प्राथमिकताओं और तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुमोदित पूंजी निवेश योजना में परिवर्तन हेतु आयोग से अनुरोध किया जा सकेगा ।

7.6 ऐसे प्रकरणों में, जहां जीवन अथवा सम्पत्ति के संकट को दूर करने के लिए तात्कालिक कार्यवाहियों की आवश्यकता हो, वहां तात्कालिकता प्रकृति की पूर्व सूचना के अधीन प्रस्तावित कार्य और लागत अनुमान के संबंध में यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा निचय (ब्रीफ) प्रस्तुत करके, आयोग के अनुमोदन हेतु विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करके कार्योपरान्त अनुमोदन लेने के अध्यधीन रहते हुए, अत्यावश्यक कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

7.7 प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक आवेदक अनुमोदित पूंजी निवेश योजना के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें योजनावार उपलब्धियां, विचलन, पुनरीक्षित अनुसूची और विचलनों के कारण स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएंगे ।

8. **कतिपय सचलों(वेरियेबल्स) के संबंध में विशिष्ट ट्रेजेक्टरी** :

आयोग द्वारा ऐसी मदों(आईटम्स) के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जो नियंत्रणीय हो। साथ–साथ विशिष्ट सचलों हेतु आयोग द्वारा ट्रेजेक्टरी निर्दिष्ट की जा सकती है जहां पुरस्कारों और गैर पुरस्कारों के माध्यम से आवेदक के कार्य निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता हो ।

9. **टैरिफ का निर्धारण** :

9.1 इन विनियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी सभी समयों में, आयोग को यह प्राधिकार होगा कि या तो स्वप्रेरणा से अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर शर्तों और दशाओं का समावेश करते हुए किसी उत्पादन कंपनी अथवा राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के टैरिफ का निर्धारण करे।

9.2 उत्पादन केन्द्र के संबंध में टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण उत्पादन केन्द्र अथवा किसी चरण या उत्पादन केन्द्र के खण्ड के लिए निर्धारित किया जा सकेगा, और पारेषण प्रणाली हेतु टैरिफ का निर्धारण सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली अथवा पारेषण प्रणाली के किसी भाग हेतु किया जा सकेगा। सम्पूर्ण वितरण प्रणाली के लिए आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु फुटकर प्रदाय टैरिफ, व्हीलिंग चार्ज और विविध चार्ज भी निर्धारित किए जा सकेंगे ।

9.3 आयोग निम्नलिखित हेतु टैरिफ और शुल्क तथा प्रभार निर्धारित करेगा :

(क) इन विनियमों के अध्याय–4 के अनुसरण में, विद्युत का उत्पादन;

(ख) इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसरण में, विद्युत का पारेषण;

(ग) इन विनियमों के अध्याय–6 के अनुसरण में, वितरण व्हीलिंग व्यापार; व्हीलिंग बिजनेस

(घ) इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसरण में, फुटकर प्रदाय व्यापार (रीटेल सप्लाई बिजनेस)। और

(ड.) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अध्याय–8 के अनुसरण में।

10. वास्तविकीकरण (True-up)

10.1 जहां किसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभारों से सकल राजस्व आवश्यकता और अनुमानित राजस्व किसी बहुवर्षीय शुल्क संरचना के अंतर्गत आते हों, वहां यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उस नियंत्रण अवधि के दौरान इन विनियमों के अनुसरण में व्ययों और राजस्व के वास्तविकीकरण के अध्यधीन होंगे ।

10.2 उत्पादन कंपनी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर नियंत्रण अवधि के दौरान प्रतिवर्ष अपने उत्पादन केन्द्रों के पूर्व वर्ष/वर्षों का वास्तविकीकरण हेतु और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) में राजस्व के अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगी। राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूर्व वर्ष के वास्तविकीकरण और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) के राजस्व अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर पूर्व वर्ष के वास्तविकीकरण और परवर्ती वर्ष (आगामी वर्ष) के राजस्व अंतर/आधिक्य के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्व वर्ष (वर्षों) के वास्तविकीकरण और आगामी वर्ष के लिए शुल्क तथा प्रभारों के निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आयोग को जानकारी ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए और साथ में अंकेक्षक द्वारा विहित रूप से प्रमाणित अंकेक्षित लेखे, लेखा पुस्तकों का सारांश और ऐसे अन्य विवरण, जो आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता पूर्वानुमान तथा शुल्कों और प्रभारों से संभावित राजस्व में किसी वित्तीय निष्पादन के विचलन (वेरिएशन) के कारणों और सीमा का मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक हो, प्रस्तुत किए जाएंगे।

10.3 ऐसे प्रकरण में जहां अंकक्षित लेखे उपलब्ध नहीं है, प्रावधिक वास्तविकीकरण (प्रोविजनल ट्रू अप) का कार्य अनअंकेक्षित/प्रावधिक लेखे के आधार पर किया जाएगा और जैसे ही अंकेक्षित लेखे उपलब्ध हो जाते हैं, अग्रेत्तर अंतिम वास्तविकीकरण के अधीन रहेगा।

10.4 वास्तविकीकरण के क्षेत्र में उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्य निष्पादन की तुलना सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ एवं प्रभारों से संभावित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से सम्मिलित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित का समावेश होगा :–

(क) आवेदक के पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में अंकेक्षित कार्य निष्पादन की ऐसे पूर्व वित्तीय वर्षों हेतु अनुमोदित पूर्वानुमान से तुलना, जो अनियंत्रणीय कारकों के प्रभाव की दरगुजर (पास थ्रू) को सम्मिलित करते हुए परिपक्वता जांच (प्रूडेंट चेक) के अधीन रहेगी;

(ख) समय–समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;

(ग) अन्य सुसंगत विवरण, यदि कोई हों ।

10.5 वास्तविकीकरणों के शुद्ध वित्तीय प्रभावों को उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, विनियम 12 और विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार अवमूल्यन, प्राकृतिक आपदा आदि जैसे कारकों को विचार में लेते हुए,

आयोग द्वारा गणना में लिया जाएगा। शुद्ध वित्तीय प्रभाव को वार्षिक आधार पर पारित किया जाएगा।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में जहां वास्तविकीकरण के उपरांत वसूल किए गए शुल्क और प्रभारों की राशि आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनुमोदित राशि से कम/अधिक हो जाती है वहां यथास्थिति इस प्रकार वसूली गई अधिक राशि अथवा वसूले हेतु बकाया राशि अगले वर्ष हेतु शुल्क और प्रभारों के निर्धारण के समय अथवा जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जाए, समायोजित किए जाएंगे।

10.6 इस नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने से पूर्व, पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) का वास्तविकीकरण प्रयोज्य विनियमों/आदेशों (जिसके अधीन टैरिफ आदेश पारित किया गया है) से शासित होगा ।

11. **नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारक :**

11.1 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "अनियंत्रणीय कारकों" में निम्नांकित कारक सम्मिलित हैं, तथापि उन तक सीमित नहीं है, जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे, और जहां आवेदक द्वारा उनका सामना नहीं किया जा सकता था :–

(क) दैवीय घटनाएं;

(ख) विधि में परिवर्तन;

(ग) न्यायिक प्रोद्‌घोषणाएं;

(घ) ईंधन की कीमतें अर्थात कोयला, तेल और समस्त प्राथमिक–द्वितीयक ईंधन;

(ङ) मिश्रविक्रय (Sale mix) और विक्रय की मात्रा;

(च) विद्युत क्रय का मूल्य;

(छ) अवमूल्यन के कारण लागतें;

(ज) कर एवं वैधानिक लेवी ।

11.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति **'नियंत्रणीय कारक'** में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :–

(क) किसी पूंजीगत व्यय परियोजना के क्रियान्वयन में लागत बढ़ जाने के कारण पूंजीकरण, जो कि ऐसी परियोजना के क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, वैधानिक लेवियों में परिवर्तन अथवा यथास्थिति उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से परे परिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ है;

(ख) एस.एच.आर., सहायक खपत, आदि उत्पादन–निष्पादन मानदण्ड;

(ग) विनियम 71 के अनुसरण में परिगणित विद्युत हानियां;

(घ) संचालन और संधारण व्यय;

(ङ) जहां छूट दी गयी है, उसे छोड़कर निष्पादन मानदण्डों के विनियमों में यथा निर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति करने में विफलता;

(च) वायर उपलब्धता और आपूर्ति उपलब्धता में विचलन।

12 अनियंत्रणीय कारकों से हुई बढ़त या हानियों के पास थ्रू हेतु प्रणाली;

उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अवधि में अनियंत्रणीय मदों (टैरिफ आदेश के अनुसार) के कारण हुए सकल लाभों/हानियों को हितग्राहियों/उपभोक्ताओं को अगले वार्षिक राजस्व आवश्यकता अथवा इन विनियमों अधीन आयोग द्वारा पारित आदेश में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पास थ्रू (निकासीकृत) कर दिया जाएगा।

13. नियंत्रणीय कारकों के कारण हुए लाभों या हानियों के बंटवारे हेतु प्रणाली :

13.1 टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों में बेहतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल लाभों, विनियम–71 के अनुसरण में संगणित विद्युत हानियों को छोड़कर, को हितग्राही/उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुंचाया जाएगा और शेष उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जैसी भी स्थिति हो, 50:50 के अनुपात में अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रूप से रखा जाएगा।

परन्तु टैरिफ आदेश में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में, टैरिफ आदेश में विद्युत हानियों से संबंधित लक्ष्यों को लेकर बेहतर उपलब्धियों के कारण हुए सकल लाभों, को विनियम–71 के अनुसरण में उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुंचाया जाएगा और शेष अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, 2:1 के अनुपात में, अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रूप से रखा जाएगा।

13.2 टैरिफ आदेश में दक्षता से जुड़ी हुई नियंत्रणीय मदों हेतु निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में हुई सकल हानियों को बांटने की प्रणाली के अनुसार इन्हें हितग्राही/उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) तक पहुचाया जाएगा और शेष उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति 50:50 के अनुपात में अथवा आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन पारित आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अपने पास रखा जाएगा।

14. टैरिफ आदेश :

आवेदक द्वारा किए गए दाखिलों के आधार पर, आयोग आवेदन को ऐसे रूपांतरणों और/अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उचित और सम्यक् प्रतीत हों स्वीकृत कर सकेगा और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 के अनुसार आवेदन प्राप्ती के 120 दिवसों के भीतर आदेश पारित कर सकेगा।

15. टैरिफ आदेश के प्रति अनुसक्ति (एडहेरेन्स टू टैरिफ आर्डर):

टैरिफ निर्धारण के समस्त आदेश उस समयावधि को इंगित करेगा जिसके लिए यह प्रचलित रहेगा और अगले टैरिफ आदेश जारी होने तक निरंतर बना रहेगा। सामान्यतया कोई टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार, सिवाय आयोग द्वारा अनुमोदित वी.सी.ए. सूत्र के आधार पर ईंधन लागत और विद्युत क्रय की वजह से हुए समायोजनों को छोड़कर, संशोधित नहीं किया जाएगा ।

16. सहायिकी (सब्सिडी) प्रणाली :

16.1 यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की श्रेणी को सहायता करने का अभिनिश्चय करती है तो वह, अधिनियम की धारा–65 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान, सहायिकी स्वीकृत करने से प्रभावित हुए अनुज्ञप्तिधारी की क्षतिपूर्ति के लिए उस रीति से करेगी जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। परन्तु राज्य सरकार द्वारा सहायिकी

स्वीकृत करने का कोई निर्देश तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जब तक अधिनियम की धारा 65 में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं कर दिया गया हो और आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में उसके द्वारा जारी आदेश के प्रभावशील होने की दिनांक से प्रयोज्य होगा ।

16.2 अधिनियम के इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग राज्य सरकार की सहायिकी संबंधी वचनबद्धता पर विचार किए बिना प्रारंभतः टैरिफ का निर्धारण करेगा और ऐसा सहायिकीकृत टैरिफ, उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता पर विचार करने के उपरांत निकाला जाएगा।

16.3 देय सहायिकी को राज्य सरकार के बकाया ऋणों के विरूद्ध किसी प्रकार से समायोजित नहीं किया जाएगा।

अध्याय–3
वित्तीय सिद्धान्त

17 **ऋण (डेब्ट) समता (इक्विटी) अनुपात :**

17.1 उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु दिनांक 01.04.2016 को और उसके बाद वाणिज्यिक संचालन में घोषित किसी परियोजना के लिए, यदि पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से अधिक समता पूंजी वस्तुतः लगाई गई है, तो 30 प्रतिशत से अधिक की समता को नॉरमेटिव्ह ऋण माना जाएगा; परन्तु जहां वस्तुतः लगाई गई समता पूंजीगत लागत के समतुल्य अथवा 30 प्रतिशत से कम है, वहां वास्तविक समता को टैरिफ के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि यदि निवेश की गई समता,(पूंजी/इक्विटी) विदेशी मुद्रा में है तो उसे प्रत्येक ऐसे निवेश की दिनांक को भारतीय रूपयों में अभिहित (डेजीगनेट) किया जाएगा।

उदाहरणः यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी परियोजना के वित्त पोषण हेतु समता पूंजी जारी करते समय और अपने फ्री रिजर्व में से निर्मित आंतरिक स्रोतों से निवेश करते समय उठाया गया प्रीमियम, यदि कोई हो तो उसे समता पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी) की संगणना के उद्देश्य से चुकता पूंजी माना जायेगा, बशर्ते ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक स्रोतों का उपयोग (यथास्थिति) उत्पादन केन्द्र या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली हेतु पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु किया गया हो।

परन्तु परियोजना कियान्वयन हेतु कोई उपभोक्ता अंशदान, कार्य निक्षेप और प्राप्त अनुदान मानदण्डीय ऋण : समता की संगणना के उद्देश्य से पूंजी संरचना के भाग के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।

17.2 उत्पादन केन्द्र और अनुज्ञप्तिधारी के मामले में, जिसे दिनांक 01.04.2016 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन में घोषित किया गया है, आयोग द्वारा अनुमत ऋण समता अनुपात, 31.03.2015 को समाप्त अवधि हेतु टैरिफ निर्धारण के लिए विचार में लिया जाएगा।

17.3 01.04.2016 को अथवा उसके उपरांत किए गए किसी व्यय अथवा संभावित व्यय, जैसा भी आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाए, जिसमें जीवन विस्तारण हेतु जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण व्यय सम्मिलित है, उसे इन विनियमों के विनियम–17.1 में विनिर्दिष्ट रीति से सेवाकृत किया जाएगा ।

17.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में परियोजना की लागत और तद्नुसार ऋण साम्या के अनुपात की गणना, एकल लाईन (Individual Line) और परियोजना के स्थान पर पारेषण के सम्पूर्ण नेटवर्क या यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली को विचार में लेते हुए परिगणित (केल्कुलेट) किया जाएगा।

17.5 राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार हेतु हस्तांतरण की दिनांक को लेखा पुस्तकों में यथा विद्यमान वास्तविक ऋण : समता अनुपात राज्य भार प्रेषण केन्द्र की प्रारंभिक पूंजी लागत हेतु विचार में लिया जाएगा;
परन्तु जब तक राज्य सरकार द्वारा पृथक कम्पनी अधिसूचित नहीं कर दी जाती तब तक राज्य पारेषण उपक्रम की लेखा पुस्तिकाओं में दर्शित ऋण साम्या अनुपात को विचार में लिया जाएगा; हस्तांतरण की दिनांक को अथवा उसके पश्चात् किए गए किसी निवेश हेतु यदि वास्तविक रूप से लगाई गई साम्या पूंजी लागत की 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत के आधे की साम्या को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा;

परन्तु जहां वास्तव में लगाई गई साम्या पूंजी लागत की 30 प्रतिशत से कम है तो प्रभारों के निर्धारण के लिए वास्तविक साम्या को विचार में लिया जाएगा;
परन्तु यह भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित साम्या को ऐसे प्रत्येक निवेश की दिनांक पर भारतीय रूपयों में पदांकित किया जाएगा।
उदाहरण : राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंश पूंजी जारी करते समय एकत्र प्रिमियम, यदि कोई हो और अपने मुक्त संग्रह से निर्मित आंतरिक स्रोतों का निवेश जो पूंजीगत व्यय के लिए कोष में डाला जाता है उसे साम्य पर प्रतिफल की संगणना के उद्देश्य से चूकता पूंजी के रूप में गिना जाएगा, बशर्ते ऐसी प्रिमियम राशि और आंतरिक स्रोत का वास्तविक उपयोग पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए हो।

18 पूंजी लागत और पूंजीगत संरचना (Capital cost and capital structure)

18.1 किसी परियोजना की लागत पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) आयोग द्वारा सतर्क जांच-पड़ताल के उपरांत यथाअनुमोदित, परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक तक किया गया व्यय, अथवा किए जाने हेतु पूर्वानुमानित व्यय, जिसमें सम्मिलित है निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय, ब्याज और वित्तीय प्रभार, निर्माण के दौरान ऋण राशि के विदेशी मुद्रा विनिमय के जोखिम संपरिवर्तन की वजह से हुई लाभ अथवा हानि;

(ख) निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) :

i. निर्माण के दौरान ब्याज की संगणना, ऋण कोष की निषेचन की दिनांक से लिए हुए ऋण से संगत होगी और SCOD तक राशियों की परिपक्व चरणबद्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी;

ii. SCOD प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण निर्माण के दौरान ब्याज के लेखे अतिरिक्त लागत के प्रकरण में यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को इस प्रकार के विलम्ब हेतु समर्थनकारी दस्तावेजों सहित विस्तृत औचित्य उपलब्ध कराना होगा जिसमें राशियों की परिपक्व चरणबद्ध निकासी सम्मिलित है;

iii. परन्तु जब इस प्रकार का विलम्ब यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कारण से न हुआ हो और इन विनियमों के विनियम-11 में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है तो निर्माण के दौरान ब्याज परिपक्व जांच के उपरांत अनुमत किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से परे वास्तविक ऋण पर केवल निर्माण के दौरान ब्याज उसी सीमा तक अनुमत किया जा सकेगा जहां कि विलम्ब यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के नियंत्रण से परे परिपक्व जांच के बाद और कोषों की परिपक्व चरणबद्ध निकासी को ध्यान में रखते हुए, पाया जाता है।

(ग) निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय (IEDC) :

i. निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय की संगणना शून्य दिनांक से और SCOD तक पूर्व संचालन व्ययों को ध्यान में रखकर की जाएगी;

परन्तु SCOD तक निर्माण अवधि के दौरान निक्षेपों और अग्रिमों पर ब्याज, अथवा किन्हीं अन्य प्राप्तियों के लेखे अर्जित राजस्व को निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय में से घटाने हेतु विचार में लिया जा सकेगा।

ii. निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय के खाते अतिरिक्त व्यय यदि SCOD प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण होता है तो यथास्थिति उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को ऐसे विलम्ब के लिए समर्थनकारी दस्तावेजों सहित विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें विलम्ब की अवधि के दौरान हुए नैमित्तिक व्यय का विवरण और विलम्ब से संगत वसूली गई या वसूली योग्य परिसमापन नुकसानी सम्मिलित है;

परन्तु यदि ऐसा विलम्ब यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कारण नहीं हुआ है और विनियम–11 मे यथा विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों की वजह से है तो विहित परिपक्वता जांच के उपरांत निर्माण के दौरान नैमित्तिक व्यय अनुमत किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा विलम्ब यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा लगाये गये किसी अभिकरण या संविदाकर्ता या प्रदायकर्ता के कारण हुआ है तो ऐसे अभिकरण या संविदाकर्ता या प्रदायकर्ता से वसूल की गई परिसमापन नुकसानी को पूंजी लागत की संगणना के लिए विचार में लिया जाएगा।

iii. ऐसे प्रकरण में जहां अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से आगे समय लंघन विहित परिपक्वता के उपरांत ही अनुमति योग्य नहीं है वहां समय लंघन की अवधि से संगत मूल्य परिवर्तन के कारण पूंजी लागत में वृद्धि को पूंजीकरण से निकाल दिया जाएगा, भले ही उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के आपूर्तिकर्ता या संविदाकर्ता से संविदाओं में मूल्य परिवर्तन के प्रावधान कुछ भी हों।

(घ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के प्रकरण में प्रभारों के निर्धारण का आधार राज्य भार प्रेषण केन्द्र/राज्य पारेषण उपक्रम की लेखा पुस्तिकाओं में उल्लिखित हस्तांतरण की दिनांक को पूंजीगत लागत के साथ नियंत्रण अवधि हेतु अनुमोदित सी.ए.पी.ई.एक्स योजना रहेगी।

(ड.) विनियम–18.3 में विनिर्दिष्ट ऊपरी दरों की सीमा में रहते हुए पूंजीकृत प्रारंभिक स्पेयर्स; और

(च) विनियम–19 के अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय;
परन्तु, ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग हैं, किन्तु उपयोग में नहीं आ रही, उन्हें लागत मूल्य में से बाहर कर दिया जाएगा।

18.2 आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के उपरांत यथाअनुमोदित लागत पूंजी टैरिफ अवधारणा का आधार होगी :

परन्तु, सतर्क जांच–पड़ताल में पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्तता (रिजेनेबिलीटी) की छान–बीन, वित्तीय योजना, निर्माण के दौरान ब्याज और IEDC दक्ष तकनीक का उपयोग, लागत मूल्य और

समय में वृद्धि, और ऐसे अन्य मामले सम्मिलित किए जा सकेंगे जिन्हें कि आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु समुचित समझा जाए;

परन्तु, जहां कि वास्तविक पूंजीगत मूल्य अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से निम्नतर है, वहां टैरिफ निर्धारण हेतु वास्तविक पूंजीगत मूल्य को विचार में लिया जाएगा । अनुमोदित पूंजीगत मूल्य से ऊपर और परे, (over and above) पूंजीगत मूल्य में किसी वृद्धि को आयोग द्वारा सतर्क जांच के अधीन विचार में लिया जा सकता है अथवा आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से उसका मिलान (vetting) किया जा सकता है;

परन्तु, ऐसे प्रकरण में जहां किसी विकासकर्ता को किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्विस्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्थल प्रदान किया जाता है, वहां परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्थल को आबंटित कराने में किया गया कोई व्यय अथवा किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय लागत मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

परन्तु, यह भी कि ऐसे किसी जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में लागत पूंजी हेतु निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा :—

(क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन के यथाअनुमोदित पैकेज के अनुरूप अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना की लागत; और

(ख) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या DDUGY योजना आदि के निमित्त विकासकर्ता के 10 प्रतिशत अंशदान (कान्ट्रीब्यूशन) की लागत;

परन्तु, यह भी कि जहां उत्पादन कंपनी और हितग्राहियों के बीच दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबंध हुआ हो अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और हितग्राही के बीच पारेषण सेवा अनुबंध हुआ हो वहां यथास्थिति वास्तविक व्यय की सीमा निर्धारित होने पर, आयोग द्वारा अनुमत (एडमिटेड), पूंजीगत व्यय टैरिफ निर्धारण के लिए ऐसी सीमा को विचार में लिया जाएगा।

18.3 लागत पूंजी में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे भी सम्मिलित किए जा सकेंगे।

18.3.1 उत्पादन यूटीलिटी :

निम्नलिखित ऊपरीसीमा मानदण्डों के अधीन रहते हुए प्रारंभिक स्पयेर्स संयंत्र और मशीन लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत होंगे :

i.	कोयला आधारित / लिग्नाईट ज्वलित ताप उत्पादन केन्द्र	—	4.00%
ii.	जलीय विद्युत उत्पादन केन्द्र	—	4.00%

18.3.2 पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली :

निम्नलिखित ऊपरीसीमा मानदण्ड के अधीन रहते हुए प्रारंभिक स्पयेर्स मूल पूंजीगत लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत होंगे :

i.	पारेषण प्रणाली तथा वितरण लाईन	—	0.50%
ii.	पारेषण प्रणाली तथा वितरण उपकेन्द्र	—	1.00%
iii.	सीरीज / समानान्तर क्षतिपूर्ति डिवाइसें और HVDC केन्द्र	—	3.50%
iv.	गैस इन्सूलेटेड उपकेन्द्र	—	3.50%

18.4 उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति प्रतिस्थान, नवीकरण और आधुनिकीकरण या पुरानी स्थावर परिसम्पत्तियों के जीवन विस्तार पर किए गए किसी व्यय को, मूल पूंजी लागत से प्रतिस्थापित आस्तियों के शुद्ध मूल्य को बट्टे खाते डालने के बाद विचार में लिया जाएगा ।

18.5 किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के वि–पूंजीकरण के प्रकरण में यथास्थिति वि–पूंजीकरण की दिनांक को ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत, सकल निश्चित परिसम्पत्ति के मूल्य में से घटा दी जाएगी और संगत ऋण के साथ–साथ साम्या को बकाया ऋण और साम्या में से क्रमशः उस वर्ष में विहित रूप से उस वर्ष को विचार में लेते हुए जिसे वर्ष में वह पूंजीकृत हुआ था, घटा दिया जाएगा जिसमें ऐसा वि–पूंजीकरण सम्पन्न होता है।

18.6 किसी वर्ष के दौरान औसत लागत पूंजी की परिगणना उस वर्ष के लिए प्रारंभिक और अंतिम सकल निश्चित परिसम्पत्तियों के औसत के रूप में की जाएगी;
परन्तु, नवीन उत्पादन केन्द्र अथवा इकाई के लिए लागत पूंजी प्रोरेटा आधार पर उस वर्ष के दौरान प्रभारित की जाएगी जिस वर्ष में ऐसी परिसम्पत्ति वाणिज्यिक संचालन में घोषित की जाती है और परवर्ती वर्षों (आगामी वर्ष) में, लागत पूंजी को औसत परिसम्पत्ति के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

19 **अतिरिक्त पूंजीकरण** :

19.1 वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद और कट–ऑफ दिनांक तक निम्नलिखित मदों के लिए कार्य की मूल सीमा में रहते हुए किया गया पूंजीगत व्यय या किए जाने के लिए अनुमानित व्यय, आयोग द्वारा सतर्क जांच–पड़ताल के अधीन रहते हुए अनुमत किया जा सकेगा :

(i) अन–उन्मोचित दायित्व; (अनडिस्चार्जड लाईबिलिटी)

(ii) निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्य;

(iii) विनियम 18.3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मूल परियोजना लागत में शामिल प्रारंभिक पुर्जों की प्राप्ति;

(iv) किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन अथवा माध्यस्थम के पंचाट के अनुपालन (अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन) का दायित्व; और

(v) विधि में कोई परिवर्तन;

परन्तु, कार्य के मूल स्वरूप में सम्मिलित कार्यों के विवरण, मय व्यय के अनुमानों, अन–उन्मोचित दायित्वों; (अनडिस्चार्जड् लाईबिलिटीज) और निष्पादन हेतु आस्थगित (डिफर्ड) कार्यों के विवरण, पूंजी निवेश योजना के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

19.2 निम्नलिखित के कारण कट–ऑफ दिनांक के बाद हुआ पूंजीगत व्यय, सतर्क जांच– पड़ताल के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा स्वविवेक से अनुमत (स्वीकृत) किया जाएगाः–

(i) माध्यस्थम् के पंचाट अथवा किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का अनुपालन करने का दायित्व;

(ii) विधि में परिवर्तन;

(iii) कार्य के मूल स्वरूप में एस पाण्ड अथवा एस हैंडलिंग की प्रणाली से संबंधित आस्थगित (डिफर्ड) कार्य;

(iv) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के मामले में कोई निवेश, जो प्राकृतिक विपदाओं (परन्तु, उत्पादन कंपनी के दुर्लक्ष्य के कारण विद्युत उत्पादन गृह में हुए जल भराव के कारण नहीं) के साथ ही इंश्योरेंस स्कीम (बीमा योजना) की कार्यवाही के समायोजन के पश्चात् भौगोलिक कारणों से हुई क्षति वजह से आवश्यक हुआ हो और ऐसा निवेश, जिसे आयोग उत्पादन केन्द्र के संचालन के लिए आवश्यक समझे, जैसी मदों पर रूपये एक करोड़ से अधिक का अतिरिक्त निवेश;

(v) पारेषण/वितरण प्रणाली के प्रकरण में रिले, कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्प्यूटर प्रणाली, विद्युत लाईन संवहन संचार, डी.सी. बैटरियां, त्रुटि के स्तर में बढ़ोत्तरी के कारण स्विच यार्ड उपकरण को प्रतिस्थापित करना, आपात से बहाली की प्रणाली, विसंवाहकों (इंसूलेटरों) की सफाई संबंधी अधोसंरचना, ऐसे क्षतिग्रस्त उपकरण जिनका बीमा नहीं है उनका प्रतिस्थापन और रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा निवेश जो पारेषण/वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष संचालन हेतु आवश्यक हो गया हो, जैसी मदों पर कोई अतिरिक्त निवेश;

(vi) रूपये एक करोड़ से अधिक राशि का ऐसा कोई निवेश जो आयोग द्वारा तापीय विद्युत केन्द्र को संचालित करने हेतु अपरिहार्य समझा जाए;

परन्तु, गौण मदों की अप्राप्ति पर, अथवा औजारों और सार–संभालों, फर्नीचर, एयरकण्डीशनर, वोल्टेज स्टेबलाईजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, पंखों, वाशिंग मशीनों, हीट कन्वेटरों, कम्प्यूटर, गद्दों, कालीनों आदि जैसी परिसम्पत्तियों पर हुआ कोई व्यय, जो कट–ऑफ दिनांक के बाद किया गया हो, उसे यथास्थिति टैरिफ और/अथवा शुल्क के निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

20. **नवीकरण और आधुनिकीकरण :**

20.1 यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली की उपयोगी जीवनावधि के आगे जीवन विस्तार के उद्देश्य से किए जाने वाले नवीकरण और आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति हेतु आयोग के समक्ष प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र, क्षेत्राधिकार, लागत उपयोगिता विश्लेषण किसी संदर्भ दिनांक से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता मूल्य जिसमें यदि कोई हो तो विदेशी मुद्रा घटक का समावेश भी किया जाए, और अन्य कोई जानकारी जिसे उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत समझा जाए, का समावेश होगा;

20.2 जहां उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति नवीकरण और आधुनिकीकरण के अपने प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, वहां लागत अनुमानों, वित्तीय योजना, पूर्णता की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक के उपयोग, लागत लाभ विश्लेषण, और ऐसे अन्य कारक जिन्हें आयोग द्वारा सुसंगत समझा जाए, की युक्तियुक्तता पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरांत, अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

20.3 नवीकरण और आधुनिकीकरण पर हुआ कोई व्यय या पूर्वानुमानित कोई व्यय पर विनियम 18.4 के अधीन प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी ।

कोयला अधारित ताप उत्पादन केन्द्रों हेतु विशेष भत्ता :

20.4 कोयला अधारित ताप उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में, उत्पादन कम्पनी मरम्मत और संधारण व्यय का लाभ उठाने के स्थान पर इस विनियम में विनिर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसरण में ''विशेष

भत्ता'' का विकल्प उन व्ययों की आवश्यकता पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दे सकेगी जिनमें उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई के उपयोगी जीवनकाल से आगे नवीकरण और आधुनिकीकरण सम्मिलित है और ऐसी दशा में पूंजी लागत की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रयोज्य संचालन मानदण्डों को शिथिल नहीं किया जाएगा किन्तु वार्षिक निश्चित मूल्य में ''विशेष भत्ता'' सम्मिलित कर दिया जाएगा;

परन्तु यह विकल्प किसी ऐसे उत्पादन केन्द्र अथवा उसकी इकाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसका नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा चुका है और जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व आयोग द्वारा व्यय की अनुमति दी जा चुकी है, अथवा किसी ऐसे उत्पादन केन्द्र या इकाई हेतु जो समाप्त अवस्था में अथवा जिसका संचालन शिथिल संचालन और निष्पादन मानदण्डों के अधीन किया जा रहा है।

परन्तु यह भी कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट HTPS केन्द्र के लिए शिथिल संचालन मानदण्ड उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब ऐसा उत्पादन केन्द्र विशेष भत्ते का विकल्प देता है।

20.5 विशेष भत्ता वर्ष 2016–17 के लिए @ रूपये 7.5 लाख/मे.वा. प्रतिवर्ष होगा और उसके उपरांत इसमें @ 6.35% प्रतिवर्ष की दर से टैरिफ अवधि 2016–17 से 2020–21 तक इकाईवार की जाएगी,

परन्तु वास्तविकीकरण के समय भी, टैरिफ अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान विशेष भत्ते में @ 6.35% प्रतिवर्ष की दर से अभिवृद्धि की जाएगी।

20.6 आयोग द्वारा विशेष भत्ता स्वीकृत किए जाने की दशा में विशेष भत्ते का उपयोग करते हुए या किये गये व्यय का संधारण उत्पादन केन्द्र द्वारा पृथक से किया जाएगा और इसका विवरण आयोग को टैरिफ याचिकाएं/वास्तविकीकरण याचिकाएं प्रस्तुत करते समय उपलब्ध कराया जाएगा।

21. उपभोक्ता अंशदान, निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) और अनुदान :

21.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराए गए निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे :–

(क) उपयोगकर्ताओं से भागतः (अंशतः) अथवा पूर्णतः राशियां प्राप्त करने के बाद निक्षेप कार्यों के संदर्भ में कराए गए कार्य;

(ख) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, ए.पी.डी.आर.पी., आदि की राशियों सहित प्राप्त अनुदानों के उपयोग से कराए गए पूंजीगत कार्य;

(ग) समान प्रकृति की कोई अन्य अनुदान और ऐसी प्राप्त राशियां, जिन्हें वापस करने हेतु कोई दायित्व नहीं है और जिसके साथ कोई ब्याज लागतें संबद्ध नहीं हैं, ऐसी आर्थिक सहायता;

परन्तु, आंशिक वित्त पोषण के प्रकरण में ऐसा बर्ताव (ट्रीटमेंट) उस सीमा तक सीमित रहेगा। ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्ययों के उपचार (ट्रीटमेंट) हेतु निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे :–

(क) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार संचालन एवं संधारण व्यय की अनुमति दी जाएगी;

(ख) मूल्य ह्रास, साम्या पर प्रतिफल, (रिटर्न ऑन इक्विटी) और मानदंडीय ऋण (नॉरमेटिह्व लोन) पर ब्याज की अनुमति नहीं रहेगी ।

22. **साम्या पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन इक्विटी)**

22.1 **उत्पादन, पारेषण और राज्य भार प्रेषण केन्द्र** : समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, रूपयों में विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना कर पूर्व (प्री टैक्स) आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर से इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसार दी गई सीमा में रहेगी।

22.2 **वितरण** : समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना, रूपयों में विनियम 17 के अनुसार निर्धारित समता पूंजी के आधार पर की जाएगी। समता पूंजी पर प्रतिफल की संगणना करपूर्व (प्री टैक्स) आधार पर अधिकतम 16 प्रतिशत की आधार दर से इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसार दी गई सीमा में रहेगी।

22.3 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु समता पूंजी पर प्रतिफल की दर, आधार वर्ष की प्रचलित एम.ए.टी. दर को आधार दर से सकलीकरण द्वारा संगणित की जाएगी;

परन्तु, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को यथास्थिति प्रयोज्य वास्तविक कर (टैक्स) की दर के संदर्भ में समता पूंजी पर प्रतिफल नियंत्रण अवधि के दौरान संबंधित वर्ष में सुसंगत वित्तीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप रहेगा और उसे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पृथकतः वास्तवीकृत किया जाएगा। ऐसे प्रकरण में जहां उस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई कर (टैक्स) देय नहीं है, वहां वास्तविकीकरण के उद्देश्य से कर (टैक्स) की दर को निरंक के रूप में लिया जाएगा।

समता पूंजी पर प्रतिफल की दर को 3 दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांकित किया जाएगा और निम्नांकित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :–

समता पूंजी पर प्रतिफल की कर (टैक्स) पूर्व दर = आधार दर /(1–t)

जहां इन विनियमों के विनियम 22.3 के अनुसरण में 't' से तात्पर्य प्रयोज्य कर (टैक्स) की दर है;

परन्तु, जहां यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूर्व वर्ष में हानि उठाई गई है और आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के आधार पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) को समता पूंजी पर प्रतिफल का निर्धारण करते समय विचार में नहीं लिया जा सकेगा ।

23 **ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्तीय प्रभार** :

23.1 विनियम 17 में दर्शायी रीति से प्राप्त ऋणों पर ऋण के ब्याज की गणना के लिए सकल मानदंडीय ऋण के रूप में विचार किया जाएगा ।

23.2 01.04.2016की स्थिति में बकाया मानदंडीय ऋण (नॉर्मेटिव लोन) निकालने के लिए सकल मानदंडीय ऋण(ग्रास नॉर्मेटिव लोन) में से आयोग द्वारा अनुमत दिनांक 31.03.2016 तक के आवर्ती पुनर्भुगतान (कम्यूलेटिव रिपेमेंट)को घटा दिया जाएगा ।

23.3 टैरिफ अवधि के वर्ष हेतु पुनर्भुगतान उस वर्ष के लिए अनुमत (अलाउड) अवमूल्यन (डेप्रीसिएशन) के समतुल्य माना जाएगा ।

23.4 उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति ली गई ऋण–स्थगन–अवधि (मॉरचोरियम पीरियड) के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से विचार में लिया जाएगा और वह अनुमत वार्षिक अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

23.5 ब्याज की दर, परियोजना के लिए प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर परिगणित भारांकित औसत ब्याज दर (केल्कुलेटेड वेटेड एवरेज इंट्रेस्ट रेट) होगी;

परन्तु, जहां किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं लिया गया है तथापि मानदंडीय ऋण फिर भी बकाया हो, वहां अंतिम उपलब्ध भारांकित औसत ब्याज दर विचार में ली जाएगी;

परन्तु, यह और भी कि जहां यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी के पास वास्तविक ऋण नहीं है वहां ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी की भारांकित औसत ब्याज दर समग्र रूप से विचारणीय होगी;

परन्तु, यह और भी कि नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी, जो अपना संचालन इन विनियमों के प्रभावशील होने की दिनांक के बाद प्रारंभ करने वाले हैं, और जिनके पास वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है वहां ब्याज की दर मानदंडीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर विचारणीय होगी और उस दिनांक, जब यथास्थिति विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई या पारेषण प्रणाली या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वाणिज्यिक संचालन में घोषित किया गया, को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर +200 आधार बिन्दु के समतुल्य होगी ।

23.6 ऋण पर ब्याज की गणना करने के लिए उस वर्ष के मानदंडीय औसत ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर (वेटेड एवरेज रेट) लागू की जाएगी।

23.7 ब्याज की उपर्युक्त संगणना में ऋण राशि पर ब्याज, मानदंडीय हो अथवा अन्यथा, उस सीमा तक बाहर रखा जाएगा, जहां पूंजीगत लागत उपभोक्ता अंशदान, अनुदान द्वारा वित्त पोषित अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निक्षेप कार्यों (डिपोजिट वर्क्स) के रूप में कराया गया है ।

23.8 उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र यथास्थिति ऋणों की अदला—बदली के तब तक सभी प्रयास करेगी, जब तक इसके कारण से ब्याज पर शुद्ध बचत हो और उस स्थिति में ऐसे पुनःवित्तीकरण से जुड़ी हुई समस्त लागतें हितग्राहियों द्वारा वहन की जायेंगी और शुद्ध बचत हितग्राहियों तथा उत्पादन कम्पनी या राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच, यथास्थिति 2:1 के अनुपात में बांटी जायेगी।
परन्तु राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में यह प्रावधान केवल उन्ही राज्यांतरिक एककों पर लागू होगा जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दीर्घावधि सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

23.9 परन्तु हितग्राही द्वारा ऋण के पुनःवित्तीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के दौरान, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावाकृत ब्याज के पेटे कोई भुगतान नहीं रोका जायेगा।

23.10 ऋण की शर्तो और दशाओं के परिवर्तनों को ऐसे पुनः वित्तीयकरण की दिनांक से दर्शाया जायेगा।

23.11 वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में उपभोक्ताओं को सुरक्षा निक्षेप (नगद) पर ब्याज भुगतान, इन विनियमों के तहत ब्याज और वित्त प्रभारों के एक भाग के रूप में अनुमत होगा।

24. मूल्य—ह्रास (डेप्रीसिएशन) —

24.1 मूल्य ह्रास के उद्देश्य से आधार मूल्य (बेस व्हेल्यू) आयोग द्वारा अनुमत (अलाउड) पूंजी लागत (केपिटल कॉस्ट)रहेगी;

परन्तु, पूंजी लागत में अनुदान की राशियां अथवा विनियम 21 में विनिर्दिष्ट स्थिर परिसम्पत्ति के वित्त पोषण हेतु प्राप्त उपभोक्ता अंशदान अथवा निक्षेप कार्य सम्मिलित नहीं रहेगा।

24.2 सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों और राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार हेतु प्रयुक्त साफ्टवेयर को छोड़कर आस्तियों का अवशेष (साल्वेज व्हेल्यू ऑफ एसेस्ट्स) 10 प्रतिशत मान्य किया जायेगा और आस्ति की ऐतिहासिक पूंजी लागत की अधिकतम 90 प्रतिशत तक का मूल्य ह्रास (डेप्रीसिएशन) स्वीकृत किया जायेगा।

परन्तु सूचना प्रोद्योगिकी उपकरणों और साफ्टवेयरों हेतु आस्तियों का अवशेष मूल्य निरंक विचार में लिया जाएगा और ऐसी परिसम्पत्तियों के शत् प्रतिशत मूल्य को मूल्य ह्रास (डेप्रीसिएशन) योग्य माना जाएगा।

24.3 लीज पर ली गई भूमि और जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में जलाशय हेतु भूमि और ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु राखबंद (एशबंड) की भूमि को छोड़कर, (अन्य) भूमि मूल्य ह्रास योग्य आस्तियां नहीं होगी और इस भूमि के मूल्य को आस्ति (एसेस्ट्स) के मूल्य ह्रास किये गये (डेप्रीसिएटेड व्हेल्यू) की गणना करते समय पूंजी लागत में से अलग कर दिया जायेगा।

24.4 उत्पादन केन्द्र, पारेषण प्रणाली, वितरण प्रणाली और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की आस्तियों पर अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष सरलरेखा विधि से आस्तियों के उपयोगी जीवन और इन विनियमों से संलग्न अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट दरों पर की जायेगी;

परन्तु, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से बाद के 15 वर्षों के अवधि उपरांत वर्ष के अंत में 31 मार्च को शेष रही अवमूल्यनीय मूल्य को आस्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल में विस्तारित कर दिया जायेगा।

वर्तमान परियोजनाओं के प्रकरण में दिनांक 01.04.2016 को शेष अवमूल्यनीय मूल्य, आस्तियों के सकल मूल्य–ह्रास योग्य मूल्य में से आयोग द्वारा 31.03.2016 तक अनुमत आवर्ती मूल्य–ह्रास को घटाकर निकाला जायेगा।

परन्तु उन प्रकरणों में जहां पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन आयोग द्वारा किया गया है और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु इन विनियमों में दी गई मूल्य ह्रास दरें अपर्याप्त है वहां मूल्य ह्रास की दर आयोग द्वारा परिपक्व जांच के अधीन रहते हुए टैरिफ आदेश जारी करते समय निर्धारित की जाएगी।

24.5 जब तक राज्य सरकार द्वारा पृथक राज्य भार प्रेषण केन्द्र कम्पनी अधिसूचित नहीं कर दी जाती तब तक राज्य पारेषण उपक्रम हेतु इन विनियमों के अधीन यथा प्रयोज्य मूल्य ह्रास की गणना की जाएगी;

परन्तु शेष मूल्य ह्रास योग्य बकाया, जैसा वह हस्तांतरण की दिनांक को है, को निकालने हेतु यथा हस्तांतरण की दिनांक राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की लेखा पुस्तिकाओं में दर्शित आस्तियों का सकल ह्रास योग्य मूल्य में से संचयी मूल्य ह्रास घटा दिया जाएगा।

24.6 मूल्य–ह्रास वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा। मूल्य–ह्रास की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्तियों के आधार पर की जायेगी;

परन्तु, नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई हेतु मूल्य–ह्रास उस वर्ष के दौरान आस्ति के प्रो रेटा आधार पर किया जायेगा। जिसमें उसे वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत घोषित किया गया है। परवर्ती वर्षो के लिए मूल्य–ह्रास की संगणना वर्ष के दौरान औसत आस्ति के आधार पर की जायेगी।

25. **कार्यशील पूंजी पर ब्याज--**

25.1 कार्यशील पूंजी के अंतर्गतः

(क) कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के प्रकरणों में:

(i) कोयले की लागत, यदि प्रयोज्य हो, गर्तमुख(पीट–हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु एक महीने की और गैर गर्तमुख(पीट–हेड) उत्पादन केन्द्रों हेतु डेढ़ महीने, उत्पादन हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धिकारक,एन,ए,पी,एफ के आधार पर, धन;

(ii) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धिकारक, एन,ए,पी,एफ के आधार पर उत्पादन हेतु दो महीनों के लिए द्वितीयक ईंधन तेल की लागत, और जहॉ एकाधिक द्वितीयक ईंधन तेल का उपयोग होता है, वहॉ मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल के ईंधन तेल भंडार की लागत, धन;

(iii) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(iv) विनियम 38.5.1 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

परन्तु नवीन केन्द्रों के प्रकरण में संधारण स्पेयर्स की संगणना प्रारंभिक GFA के प्रतिशत के रूप में होगी जिसे आयोग द्वारा परिपक्व जांच के अधीन टैरिफ आदेश जारी करते समय निर्धारित किया जाएगा।

(v) एक (1) महीने के लिए विद्युत विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों (केपेसिटी चार्ज) और ऊर्जा प्रभारों (इनर्जी चार्ज)समतुल्य प्राप्तव्य जिन्हें मानदण्डीय संयंत्र उपलब्धता कारक पर परिगणित किया गया है।

(ख) जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में:

(i) एक (1) महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) यथास्थिति, विनियम 38.5.3 या 0 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) एक (1) महीने की स्थिर लागत (फिक्स्ड चार्ज) के समतुल्य प्राप्तव्य।

(ग) पारेषण व्यापार के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) विनियम 47.5 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) एक महीने की स्थिर लागत (फिक्स्ड चार्ज) के समतुल्य प्राप्तव्य।

(iv) घटाएं पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा निक्षेपों के रूप में धारित कोई राशि, यदि कोई हो।

(घ) वितरण व्हीलिंग व्यापार के प्रकरण में:

(i) उस वित्तीय वर्ष के लिए संचालन और संधारण व्यय की राशि का बारहवॉं (1/12) भाग, धन;

(ii) विनियम 57.4 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) प्रचलित टैरिफों पर वितरण तारों के उपयोग हेतु प्रभारों से अनुमानित राजस्व का एक माह के समतुल्य;

(ड.) विद्युत के फुटकर प्रदाय के प्रकरण में:

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) विनियम 66.6 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) प्रचलित टैरिफों पर विद्युत के विक्रय से अनुमानित राजस्व का एक माह के समतुल्य प्राप्तव्य;

(iv) घटाएं : उपभोक्ताओं से सुरक्षा निक्षेप (एस.डी.) के रूप में रखी गई राशि।

(च) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रकरण में

(i) एक महीने के लिए संचालन और संधारण व्यय, धन;

(ii) विनियम 74.5 में विनिर्दिष्ट मरम्मत और संधारण व्ययों के 40 प्रतिशत की दर पर संधारण स्पेयर्स, धन;

(iii) आयोग द्वारा यथा अनुमोदित एक (1) माह के प्रणाली संचालन प्रभारों और बाजार संचालन प्रभारों के समतुल्य प्राप्तव्य।

25.2 वास्तविकीकरण के समय उत्पादन कंपनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की कार्यशील पूंजी आवश्यकता प्राप्तव्यों की संगणना एक (1) महीने के वास्तविक राजस्व देयक में दर्शित के समतुल्य निर्धारित की जाएगी।

25.3 विनियम 25.1 के उपखण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में ईंधन की लागत, उत्पादन कम्पनी द्वारा मानदण्डीय परिवहन और हैण्ड़लिंग की हानियों (नार्मेटिव्ह ट्रांजिट एंड हैंडलिंग लॉस) को ध्यान में रखते हुए, उनकी पहुंच लागत (लैंडेड कॉस्ट) और ईंधन के सकल कैलोरी मूल्य (जी.सी.व्ही.) जो कि तीन महीनों के लिए उपलब्ध नवीनतम् उपलब्ध वास्तविक डाटा के अनुरूप होगा और टैरिफ अवधि के दौरान ईंधन मूल्य में वृद्धि संबंधी किसी पूर्वानुमान को विचार में नहीं लिया जायेगा।

25.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर उस वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (बेस रेट) धन 350 आधार बिन्दु (बेसिस प्वाइंट) के समतुल्य अनुमत होगी, जिस वर्ष में याचिका दाखिल की गई है। वास्तविकीकरण ब्याज की दर को उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को प्रचलित वास्तविक दर के अनुसार समायोजित किया जायेगा, जिसके लिए वास्तविकीकरण का कार्य किया गया है।

25.5 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानदंडीय आधार (नार्मेटिव्ह बेसिस) पर भुगतान योग्य होगा, भले ही उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कार्यशील पूंजी के लिए किसी बाहरी एजेंसी से ऋण प्राप्त नहीं किया गया हो।

26. **आय पर कर –**

कोर व्यापार को छोड़कर किसी अन्य स्रोत (स्ट्रीम) से होने वाली आय को टैरिफ में पास थ्रु घटक नहीं माना जायेगा और इस प्रकार की अन्य आय पर लगने वाला कर यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसे प्रकरण में जहॉ किसी अन्य स्रोत के अंतर्गत आय/सेवाओं अथवा वार्षिक राजस्व आवश्यकता में विचारित किसी गैर टैरिफ आय के लिए कर का भुगतान किया गया है वहॉ ऐसे कर भी टैरिफ में से पास थ्रु कर दिए जायेंगे।

27. **छूट–**

उत्पादन कम्पनी, राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और राज्य भार प्रेषण केन्द्र के देयकों का भुगतान साख पत्र अथवा अन्यथा के माध्यम से किये जाने पर चालू देयक की चुकता राशि के 01 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते उत्पादन कम्पनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति देयकों के प्रस्तुत करने से 07 दिवस के भीतर भुगतान किया जाता है।

28. **विलम्बित भुगतान पर अधिभार–**

28.1 यदि इन विनियमों के अंतर्गत भुगतान योग्य प्रभारों के किसी देयक के भुगतान में हितग्राही/राज्यांतरिक एकक द्वारा बिल दिनांक से 30 दिवस से अधिक का विलंब किया जाता है तो विलम्ब के प्रत्येक दिवस के लिए विलम्बित भुगतान प्रभार 0.04 प्रतिशत का विलम्बित भुगतान अधिभार बकाया राशि पर साधारण ब्याज के रूप में संबंधित उत्पादन कंपनी या राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र/प्रणाली संचालनकर्ता द्वारा वसूल किया जायेगा। वास्तविकीकरण के समय हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान किए गए/प्राप्त विलम्बित भुगतान अधिभार को यथास्थिति व्यय/राजस्व के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा।

28.2 फुटकर ग्राहक के लिए विलम्बित भुगतान अधिभार सुसंगत टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार वसूलनीय होगा।

29. **विदेशी मुद्रा विनिमय दर–विचलन (वेरिएशन)**

29.1 यथास्थिति, उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द उस विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय विचलन जोखिम का सामना कर सकते हैं जो उन्होनें उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली या वितरण की प्रणाली लगाने हेतु, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, भागतः या पूर्णतः प्राप्त किया है।

29.2 प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और राज्य भार प्रेषण केन्द और अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत वर्ष में वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि में जब ऐसे व्यय उद्‌भूत होते हैं, मानदण्डीय विदेशी ऋण से संगत विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन जोखिम की लागत वसूल करेगा और ऐसी विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन से संगत अतिरिक्त रूपये का दायित्व विदेशी ऋण जोखिम के विरूद्ध अनुमत नहीं किया जायेगा।

29.3 उस सीमा तक जहॉ उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द, ब्याज भुगतान और ब्याज पुनर्भुगतान के निमित्त अतिरिक्त रूपये के दायित्व का विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम नहीं उठा पाते हैं, वहां उन्हें सुसंगत वर्ष में मानदण्डीय विदेशी मुद्रा अनुमति योग्य होगी, बशर्ते ऐसा उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी या इसके प्रदायकर्ताओं या संविदाकर्ताओं की वजह से न हुआ हो।

30. **विदेशी मुद्रा विनियम दर विचलन जोखिम की लागत की वसूली–**

प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और/अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी और/या राज्य भार प्रेषण केन्द जोखिम लागत और विदेशी मुद्रा विनिमय दर विचलन की लागत वर्षानुवर्षी आधार पर उस अवधि के लिए जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में हितग्राहियों से वसूल करेंगे।

31. **बिलिंग और प्रभारों का भुगतान–**

31.1 उत्पादन कम्पनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा इन विनियमों के अनुसरण में मासिक आधार पर क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार हेतु देयक भेजे जायेंगे और उपभोक्ताओं द्वारा उनका भुगतान, यथास्थिति सीधे उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य पारेषण उपक्रम को किया जायेगा।

31.2 किसी ऐसी संयंत्र–क्षमता जिसके लिए हितग्राही को चिन्हित और अनुबंधित नहीं किया गया है, से संबंधित पारेषण प्रभार का भुगतान संबंधित उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

31.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार के शुल्कों और प्रभारों के देयक और वसूली इन विनियमों के अध्याय–8 में यथा परिभाषित अनुसार होंगे।

31.4 फुटकर उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग का कार्य प्रचलित छत्तीसगढ़ प्रदाय संहिता और उसमें हुए संशोधनों के अनुसार किया जायेगा।

31.5 उस दशा में जब राज्य सरकार सब्सिडी की देय राशि का भुगतान समय सीमा में और फुटकर उपभोक्ताओं के लिए नगद में नहीं करती, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित/वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर देयक जारी करेगा।

32. **पेंशन कोष :**

पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल,/राज्य विद्युत कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 से पहले हुई है की पिछली अकोषित (अंफन्डेड) देयताओं (लाईबिटीज) को पूरा करने के लिए एक पेंशन और ग्रेज्युटी ट्रस्ट निर्मित किया गया है और जिसके वित्त पोषण की अनुमति आयोग के पिछले टैरिफ आदेशों में दी गई है। इस कोष में अंशदान का निर्णय आयोग द्वारा बीमांकिक विश्लेषण, (actuarial analysis) राज्य ऊर्जा कम्पनियों को संभावित पेंशन प्रवाह और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए एम.वाय.टी./ए.आर.आर. के निर्धारण के समय पेंशन ट्रस्ट के पास राशि की उपलब्धता के आधार पर लिया जायेगा। तथापि पेंशन भुगतान के प्रत्येक वास्तविक प्रवाह (एक्चुअल फ्लो) को नियंत्रण अवधि हेतु इन विनियमों में लिए गए संचालन और संधारण व्ययों में अनुमत नहीं किया जायेगा। पेंशन ट्रस्ट द्वारा पेंशन के बाह्य प्रवाह (आउट फ्लो) की पूर्ति की जायेगी। इस प्रकार आयोग द्वारा निर्धारित पेंशन कोष अंशदान सुसंगत अध्यायों में विनिर्दिष्ट रीति से वसूली योग्य होगा।

परन्तु जिस समय तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण उपक्रम का ही भाग है तब तक राज्य पारेषण उपक्रम के अंशदान मे से राज्य भार प्रेषण केन्द्र के भाग का निर्धारण प्रोरेटा आधार पर किया जाएगा। अनुपात निर्धारण के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या हेतु, पूर्ववर्ती वर्ष की पहली अप्रैल को विचार में लिया जाएगा।

———